दैनिक नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 3 | राजधानी 4 | अभिव्यक्ति 6 | आंचलिक 7 | विशेष
RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शुक्रवार 19 अगस्त 2022, कृष्ण पक्ष अष्टमी, विक्रम संवत-2078 वर्ष-11 अंक-173 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है, सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना।

आज बेबाक

घुंघरू सेठ का भी जवाब नहीं है। जब बजने पर आते है तो इतनी जोर से बजते है कि लोगों के कान के परदे फट जाते है। फेंकने पर आते है तो इतनी लंबी फेंकते है कि लपेटने वाला सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे लपेटे? घुंघरू सेठ ने लंबी छोड़ी है कि जब तक वे देश को दुनिया में नंबर-1 नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब साफ है कि वे पूरी जिंदगी बेचैन रहेंगे क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के चांस दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे है।

सूर्योदय

उदय : 6:05 प्रात:

अस्त : 7:55 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,968,322,402

भारत : 1,409,446,731

बाजार

सेंसेक्स : 60298.00

निफ्टी : 17956.50

गोल्ड : 52,400 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 56,700 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.29 प्रति नग

प्रदेश का मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रायपुर	39.2	27.6
बिलासपुर	43.4	30.4
जगदलपुर	38.0	24.1
अंबिकापुर	38.6	26.3

आज का दिवस

विश्व मानवतावादी दिवस

विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में मानवीय सेवा में अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों को आहूत कर दिया कर दिया। वर्ष 2008 में एक प्रस्ताव पारित कर विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। बगदाद की त्रासदी के बाद अब तक 4,000 से अधिक राहतकर्मियों को निशाना बनाया गया है। अनेक मृत्यु का शिकार हुए हैं, कितने ही घायल हुए हैं, कइयों को गिरफ्तार और अपहृत किया गया है। इस प्रकार हर साल औसत 300 राहतकर्मियों को निशाना बनाया गया है। विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपनी सरजमीं से विस्थापित हुए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न और अपमान किया जाता है। विश्व मानवता दिवस पर मैं विश्वस्तरीय नेताओं से अपील की जाती है कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन संघर्षों से प्रभावित होने वाले लोगों की हर संभव मदद करें।

आज से 'कृष्ण कुंज योजना' की शुरूआत, 162 जगहों में लगाए जाएंगे पौधे

- **मुख्यमंत्री राजधानी के 'कृष्ण-कुंज' में पौधरोपण की करेंगे शुरूआत**

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा और गुढ़ियारी में विकसित किए जा रहे कृष्ण-कुंज में सांस्कृतिक एवं जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण की शुरूआत करेंगे। सीएम की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में 'कृष्ण कुंज' विकसित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदंब जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवनोपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू ,चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला

के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को 'कृष्ण-कुंज' विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम एक एकड़ भूमि का आबंटन करने के निर्देश दिए हैं। अब तक राज्य के 162 स्थलों को 'कृष्ण कुंज' के लिए चिन्हांकित कर लिया गया है। वृक्षारोपण की तैयारी भी बड़ी उत्साह के साथ की जा रही है। इस कृष्ण जन्माष्टमी से पूरे राज्य में 'कृष्ण कुंज' के लिए चिन्हित स्थल पर वृक्षों का रोपण प्रारंभ किया जाएगा। कृष्ण कुंज को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए सभी निकायों में एकरूपता प्रदर्शित करने हेतु वन विभाग द्वारा बाउंड्रीवाल गेट पर लोगो का डिजाईन एक ■ शेष पृष्ठ 6 पर

162 स्थानों का किया चयन

रायपुर जिले के 10 नगरीय निकाय कुर्रा, खरोरा, बिरगांव, अटारी, तेलीबांधा, आरंग, चंदखुरी, कुरुद समोदा, उरला में कृष्ण-कुंज के लिए स्थल चयनित किया गया है। गरियाबंद जिले के 3, महासमुंद के 6, गौरेला पेंड्रा जिले के 2, कोरिया जिले के 7, कोंडागांव जिले के 3, दंतेवाड़ा जिले के 4, बीजापुर जिले, सुकमा, नारायणपुर के 1-1 स्थलों के साथ कुल 162 चयनित स्थलों में जन्माष्टमी पर पौधों का रोपण किया जायेगा।

अब खुलेंगे स्वामी आत्मानंद कॉलेज

- **प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे**

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के बाद अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश

मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी तीन साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

3 साल में पूरे प्रदेश में होंगे अंग्रेजी कॉलेज

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम के अनेक निजी एवं शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय न होने के कारण राज्य के विद्यार्थियों को 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु महानगरों के महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है जिसमें बड़ी राशि व्यय होती है। राज्य के विद्यार्थियों को राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम से महाविद्यालयीन शिक्षा देने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह ही गुणवत्तायुक्त महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी आरंभ किये जाएं। इन महाविद्यालयों की चरणबद्ध स्थापना की जाए। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएं। इसी तरह आगामी 03 वर्षों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएं।

'एजुकेशन मॉडल' प्रस्तुत करेगी छग

समाज के कमजोर तबके और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। विगत वर्ष 51 स्कूल प्रारंभ किए गए थे, इन स्कूलों की लोकप्रियता के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की संख्या वर्तमान में बढ़कर 247 हो गई है। अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होने से इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता को देखते हुए 15 अगस्त को राज्य में आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू करने की घोषणा की है। इनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे।

अब 28 की जगह 4 सितंबर को होगी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली

नई दिल्ली। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। इस बार संसद के मानसून सत्र में भी कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इन सब के बीच से दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 अगस्त को कांग्रेस की ओर से महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली आयोजित होने वाली थी। लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब यह रैली 4 सितंबर को होगी। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में जयराम रमेश ने लिखा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अब यह रैली 4 सितंबर को होगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साथ रहे हैं। जयराम रमेश ने आज इसके साथ ही यह भी कहा है कि इस रैली के माध्यम से असंवेदनशील मोदी सरकार को जोरदार संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पिछले दो महीनों में दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है।

फिर बिगड़ी एक्टर राजू श्रीवास्तव की तबीयत, ब्रेन है डेड, दिल कर रहा दिक्कत

मुंबई। कॉमेडियन व एक्टर राजू श्रीवास्तव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ रही है। 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, इसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती हैं। शुरू में उनकी तबीयत में सुधार नहीं था, लेकिन उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर उनकी तबीयत नाजुक है और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इस खबर के सामने आने से उनके फैन्स परेशान हो रहे हैं और

उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ रही है, और डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य सुधार में लगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजू के मुख्य सलाहकार अजित सक्सेना ने बताया है कि आज सुबह डाक्टरों ने जानकारी दी है कि एक्टर का ब्रेन काम नहीं कर रहा है।

महंगाई आसमान छू रही, केंद्र में लूटने में लगी है : सीएम

रायपुर/नवप्रदेश। पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल सारा सामान महंगा है। अब तो जीएसटी पनीर, दही सब में लग रहा है। कुछ बचा ही नहीं है। जब से रेल शुरू हुई है, तब से कभी बंद नहीं की गई, पर यह सरकार कर रही है। वह भी लंबे समय से। पहले प्लेटफार्म, ट्रेन का टिकट बढ़ाए। अब एक साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा। यह सरकार लूटने में लगी हुई है। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। दरअसल, सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। बैठक में महंगाई के खिलाफ आंदोलन और हिमाचल प्रदेश-गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा होनी है।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस, हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली (ए.)। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के

लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

क्या था मामला, जानिए...

दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता।

छग में जन्माष्टमी पर आज ड्राई-डे

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यानी आज 19 अगस्त को प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शहरों की सीमा के भीतर स्लाटर हाउस और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद करने को कहा गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने गुरुवार को ड्राई-डे और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पशु वध गृह बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी' पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशु वध गृह एवं मांस बिक्री दुकानें बंद रहेगी।

रायगढ़ में नाव से एके-47 बरामद

- **फडणवीस बोले- बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की, हाईटाइड से यहां पहुंची**

मुंबई (ए.)। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया है। नाव में एके-47 राइफल, कुछ राइफलें व भारी संख्या में कारतूस मिलने की खबर है। ये नाव रायगढ़ जिले में स्थित हरिहरेश्वर समुद्र तट पर मिली है। हरिहरेश्वर तट मुंबई से 200 और पुणे से 170 किलोमीटर दूर बताया गया है।

26/11 जैसी साजिश की आशंका

महाराष्ट्र में मिली इस संदिग्ध नाव से गुजरात के पोरबंदर तट पर पूर्व में मिली संदिग्ध नाव और उसके बाद मुंबई में हुए 26/11 जैसी आतंकी साजिश की आशंका पैदा हो गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये नाव कहां से आई और इसमें मिले हथियार किसने भेजे? क्या नाव में कोई सवार होकर आया था और यदि आया था तो वह कहां है?

श्रीवर्धन (रायगढ़) विधायक, अदिति तटकरे ने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार रायगढ़ के श्रीवर्धन के हरिहरेश्वर और भारदखोल में हथियार-दस्तावेज वाली कुछ नावें मिली है। जांच चल रही है, मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ATS या स्टेट एजेंसी की स्पेशल टीम तत्काल नियुक्त करें। मामले में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि मामले पर सरकार गंभीरता से नजर बनाए हुए है।

सरकारी गाड़ी ने 2 को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर

- **गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक किया प्रदर्शन, चालक गिरफ्तार**

दुर्ग/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क पर शव रखकर

प्रदर्शन किया। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना पाटन थाना क्षेत्र के लोहरसी गांव की है। बताया जा रहा है कि, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की गैर मौजूदगी में कार चालक ने स्टेट गैरेज से फार्च्यूनर लेकर आया था। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि, दुर्घटना के समय मंत्री गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पाटन थाना प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम लोहरसी निवासी प्रकाश चंद्राकर पिता बसन्त चंद्राकर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मिक्सर मशीन वाहन ने 9वीं की छात्रा को कुचला, मौत

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गुरुवार दोपहर ट्रांजिट मिक्सर मशीन वाहन ने 9वीं क्लास की छात्रा को कुचल दिया। छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे जाम कर सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हादसा कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक, जंजगिरी हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं की छात्रा खुशी साहू (15) पुत्री पिता महेंद्र साहू उरला स्थित अपने घर से ■ शेष पृष्ठ 6 पर

गरमा-गरम

बदलाव... भाजपा में बदलाव की बयार से बनते- बिगड़ते नए राजनीतिक समीकरण

भाजपा का बदला नजारा, सत्ता आएगी दोबारा?

विशेष संवाददाता

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य में सत्ता से बाहर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की कवायद शुरू की है और इसके लिए सबसे पहले पिछले पौने चार सालों से सदन में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे धरमलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर उनकी जगह क्रमशः नारायण चंदेल और अरूण साव की नियुक्ति की है।

अपनी इस कवायद को भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कवायद लोकतांत्रिक ढंग से की गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा करती है कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम है। यदि ऐसा है तो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कब हुआ? पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इन दोनों पदों पर कार्यरत नेता क्यो हटाए गए। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता है और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी रहे है, इसके पूर्व भी वो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके है और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी रही है। फिर उन्हें किस असफलता की वजह से पद से हटाया गया। यह जानने का अधिकार तो प्रदेश और भाजपा कार्यकर्ता दोनों रखते है। इसी तरह विधायन में नारायण चंदेल से

ज्यादा अनुभवी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक का भी हटाया जाना सवाल उत्पन्न करता है। पिछले कई सत्रो से उनके नेतृत्व में विपक्ष का प्रर्दशन उनके संख्या बल के हिसाब से ठीकठाक रहा है। सदन में इससे ज्यादा कुछ कर पाना विपक्ष की स्थिति में नहीं है । फिर उन्हें भी पद से हटाया जाना आश्चर्यजनक ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हटाए गए ये दोनों नेता ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से इनको हटाए जाना जरूरी हो गया था और नए बनाए गए नेता ऐसा क्या कर देंगे जिसके लिए उनको बनाया जाना जरूरी था। जहां तक क्षेत्र और जातिवाद का सवाल है तो अभी बनाए गए दोनों पदाधिकारी बिलासपुर संभाग से आते है और दोनों ही संगठनात्मक मामलों में ज्यादा अनुभवी नहीं है हालांकि दोनों के पीछे संघ का बल है। लेकिन सदन में एक कुर्मी को हटाकर दूसरे कुर्मी को बैठाया जाना और संगठन में आदिवासी को हटाकर साहू को बनाया जाना गले नहीं उतरता है। अरुण साव सांसद जरूर है और विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा आदि की राजनीति करते हुए उपर आए है लेकिन सांसद बनने के उपरांत भी वे बिलासपुर छोड़कर प्रदेश में कही भी गए हो या कोई राजनीतिक यात्रा की हो ऐसा सुनने में नहीं आया है। तब गुटबाजियों से भरे संगठन में वे कैसे तालमेल बैठाएंगे। जबकि चुनाव को मात्र 16 महीने रह गए है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले दो विधायक अजय चन्द्राकर और बृजमोहन अग्रवाल और संगठन में डॉ. रमनसिंह और सरोज पांडे जैसे वटवृक्षों के तले ये दोनों नए पदाधिकारी क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे?

लोगों का इंतजार खत्म! सितंबर से अस्तित्व में आ जाएंगे पांच नए जिले

■ **1 सितंबर से शुरू हो सकता है इन जिलों का शुभारंभ, पांच जिलों में शामिल होंगे सीएम**

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित 5 नए जिलों का उद्घाटन एक सितंबर से हो सकता है। इन जिलों के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएंगी। इन जिलों में ओएसडी प्रशासन और ओएसडी पुलिस की नियुक्ति कई महीने पहले हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य समारोह में इन जिलों का उद्घाटन करेंगे। इस मौके को यादगार बनाने जिलों में बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री का रोड शो समेत अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। इस दौरान नए जिला मुख्यालयों को दीवाली की तरह रोशन किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने पिछले साल 15 अगस्त के भाषण में 4 नए जिलों का ऐलान किया था। इनमें मानपुर-मोहला, सारगंढ़-बिलाईगढ़, सक्ती और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी के नाम शामिल थे। इसके बाद खैरागढ़ उप चुनाव के दौरान खैरागढ़ जिले की घोषणा की गई थी। पांचों नए जिलों की पुरी तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि एक सितंबर को इसका नोटिफि केशन भी जारी हो जाएगा।

सक्ती का उद्घाटन सबसे पहले

ताजा स्थितियों के अनुसार सबसे पहले एक सितंबर को सक्ती का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को मोहला-मानपुर, 3 सितंबर को मनेद्रगढ़, चार सितंबर को खैरागढ़ और छह सितंबर को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का उद्घाटन किया जा सकता है। हालांकि, अभी फाइनल प्रोग्राम तैयार नहीं हुआ है। इस तारीखों में कुछ आगे पीछे हो सकता है। खबरों के अनुसार सरकार द्वारा राजनांदगांव, कोरिया, जांजगीर, रायगढ़ जिले के कलेक्टर, एसपी को तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलने और अन्याय के विरूद्ध खड़े होने का मार्ग दिखाया है। उनकी जीवन-लीलाएं हमें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। उनके द्वारा दी गई सीख जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है। सीएम ने कहा कि पुराणों में कदंब के वृक्ष और हरे-भरे बागीचों के आस-पास भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मनुष्य के लिये वृक्षों की अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण ही हमारी परंपराओं में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

कल सीएम किसानों, पशुपालकों समूहों को जारी करेंगे 1750 करोड़

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे।

गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप 1745 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14 हजार 665 करोड़ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए, खरीफवर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी की यह राशि राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा काश्त लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

मुख्यमंत्री 20 अगस्त को ही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत बीते दो सालों में गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 330 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त को इस योजना की 50वीं किस्त की राशि 5.24 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 335 करोड़ 24 लाख रूपए हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की शुरूआत 20 जुलाई 2020 से हरेली पर्व से की जा रही है। गौठानों में 15 अगस्त 2022 तक 79.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। राज्य में 8408 गौठान निर्मित और संचालित हैं, जहां 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।

बीई, बीटेक, बीएड, एमएड, एमबीए समेत अन्य कोर्स के लिए फीस तय

■ **रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित एमडी, एमएस क्लीनिकल व नॉन-क्लिनिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी अंतरिम फीस निर्धारित**

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य शासन द्वारा गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए बीई, बीटेक, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एमबीए एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है। समिति ने रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफमेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित एमडी, एमएस क्लिनिकल व नॉन-क्लिनिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी अंतरिम फीस निर्धारित की है।

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस का निर्धारण किया जाना है। किन्तु संबंधित संस्थाओं के द्वारा आवश्यक जानकारियां उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण इसमें विलम्ब हो रहा था। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा 16 अगस्त को कई पाठ्यक्रमों के लिए तीन शैक्षणिक सत्रों हेतु अंतरिम फीस का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भानसोज रोड, रायपुर द्वारा संचालित एमडी और एमएस (पीजी) क्लिनिकल व नॉन-क्लिनिकल पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 हेतु एमडी (पैथोलॉजी) के लिए आठ लाख 50 हजार रूपए, एमडी पीएसएम के लिए पांच लाख रूपए, एमडी (बायोकेमिस्ट्री) के लिए छह लाख रूपए, एमडी (माइक्रोबायोलॉजी) के लिए सात लाख रूपए, एमडी (जनरल मेडीसिन) के लिए छह लाख रूपए, एमएस (जनरल सर्जरी) के लिए छह लाख रूपए, एसएस (ऑर्थोपेडिक) के लिए छह लाख रूपए, एमएस (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) के लिए छह लाख रूपए तथा एमडी (एनेस्थेसिया) के लिए छह लाख रूपए की अंतरिम फीस निर्धारित की गई है।

श्री शास्त्री ने बताया कि समिति ने शिक्षण सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 हेतु बीई, बीटेक, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एमबीए एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग (प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली) के लिए भी अंतरिम फीस का निर्धारण किया है। वर्तमान में शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बीई व बीटेक पाठ्यक्रम में अधिकतम फीस 38 हजार 782 रूपए एवं न्यूनतम फीस 36 हजार 532 रूपए प्रति सेमेस्टर प्रति छात्र निर्धारित की गई है। बीएड पाठ्यक्रम में अधिकतम फीस 32 हजार रूपए एवं न्यूनतम फीस 29 हजार 970 रूपए तथा एमएड के लिए अधिकतम फीस 51 हजार 550 रूपए एवं न्यूनतम फीस 49 हजार 050 रूपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। बीपीएड में अधिकतम फीस 32 हजार 140 रूपए एवं न्यूनतम फीस 31 हजार 140 रूपए तथा एमपीएड के लिए अधिकतम/न्यूनतम फीस 44 हजार 225 रूपए प्रति वर्ष तय की गई है। एमबीए के लिए अधिकतम फीस 32 हजार 050 रूपए एवं न्यूनतम फीस 30 हजार 050 रूपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग (प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली) के लिए अधिकतम/न्यूनतम फीस 16 हजार 050 रूपए प्रति सेमेस्टर प्रति छात्र निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री से मिले विजेंदर सिंह

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुरूवार को उनके निवास में देश के प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। सीएम ने गत रात्रि राजधानी रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 'द जंगल रंबल' में विजयी होने पर विजेंदर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

छात्रों से अनाधिकृत शुल्क वसूलने पर दुर्ग के भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय पर तीन लाख रूपए का लगा जुर्माना

रायपुर/नवप्रदेश। बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से अनाधिकृत रूप से तथा दबावपूर्वक दस-दस हजार रूपए का अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले दुर्ग के भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पर राज्य शासन द्वारा गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। समिति ने शासन से संस्था की सम्बद्धता एवं मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की है। प्रवेश तथा फ ीस विनियामक समिति ने छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छात्रों से लिया गया अनाधिकृत शुल्क वापस लौटाए जाने का भी संकल्प पारित कर शासन को कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पुलगांव चौक, दुर्ग द्वारा शिक्षण सत्र 2021-2022 में बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त दस-दस हजार रूपए दबावपूर्वक मांगने और लेने के संबंध में छात्रों ने शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय को सुनवाई का अवसर दिया गया। सुनवाई के बाद प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने पाया कि बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से दस-दस हजार रूपए अतिरिक्त वसूला गया है।

नमन को इलाज के लिए 15 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव निवास नमन कुमार वर्मा को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। नमन वर्मा को एप्लास्टिक एनीमिया ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उपचार के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ सहायता योजना की नोडल एजेंसी के उप संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि नमन कुमार वर्मा के इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलूर को उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री से अमेरिका के मेकआर्थर फाउंडेशन और ग्लोबल मीथेन हब के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में अमेरिका के मेकआर्थर फाउंडेशन और ग्लोबल मीथेन हब के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में मीथेन उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की संभावनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर मेक आर्थर फाउंडेशन के डायरेक्टर क्लाइमेट प्रोग्राम जार्गन थामसन, ग्लोबल मिथेन हब के सीईओ मार्सेलो मीना, स्वनिती इनीशिएटिव सुश्री उमा भट्टाचार्य तथा मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद उपस्थित थे।

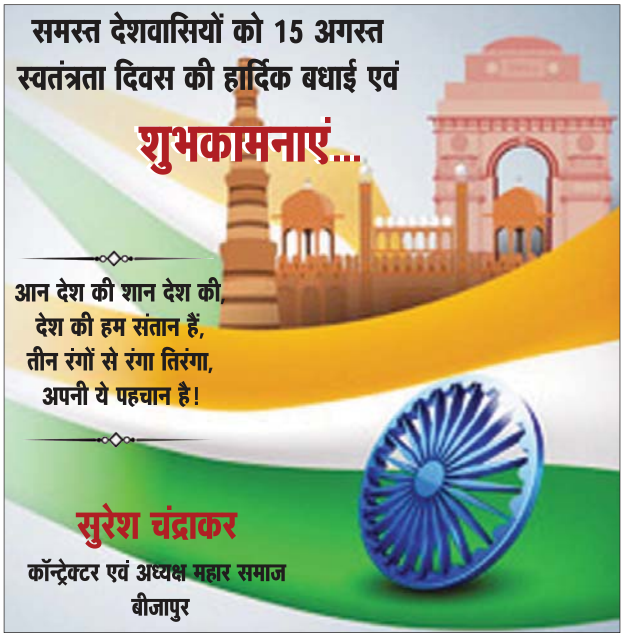

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को भवन निर्माण के लिए 50 लाख देने की घोषणा

■ विश्व आदिवासी दिवस एवं मां मांवली महासभा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम भूपेश

भाटापारा/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरूवार को भाटापारा नगर स्थित रावणभाटा मैदान मे आयोजित विश्व आदिवासी दिवस एवं मां मांवली महासभा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं ने खुमरी पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम ने सम्मेलन में आदिवासी समाज की मांग पर पटपर भाटापारा नगर में आदिवासी समाज के लिए 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने एवं सामाजिक भवन के लिए 50 लाख देने की घोषणा की है। साथ ही शासकीय हाई स्कूल दंतरेगी का नामकरण स्व संतोष ध्रुव पर एवं शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद धनंजय वर्मा के नाम पर करनें की घोषणा की। इस दौरान मंत्री डॉ शिव डहरिया, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया, संसदीय सचिव एवं विधायक शकुंतला साहू, अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश ध्रुव, मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा, निगम मंडल सदस्य सतीश अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर, जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, विद्याभूषण शुक्ला, सुनील महेश्वरी, समाज प्रमुख बंशीलाल नेताम, अमर मंडावी, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा उपस्थित थे। सीएम ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव के विशेष अनुरोध पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के हित में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया।

बादल एकेडमी के लिए कलेक्टर की प्रशंसा

मुख्यमंत्री ने खुले मन से कलेक्टर रजत बंसल के नेतृत्व में बस्तर में प्रारंभ हुई बादल एकेडमी की प्रशंसा की। जगदलपुर में प्रारंभ हुई बादल एकेडमी जनजाति संस्कृति के रूप में प्रसिध्द लोकनृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य एवं शिल्प कला के संरक्षण के लिए शुरू हुई बस्तर एकेडमी ऑफ डॉस, आर्ट एवं लेंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होनें इस जिलें के लोगों को वहां भ्रमण कराने का भी निर्देश दिए है। उक्त मौके पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता, डीएफओ के आर बढ़ई, जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूर दराज से आएं आदिवासी समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डायरिया को लेकर अलर्ट : चिकित्सकों की सलाह डायरिया होने पर शरीर में पानी की कमी न होने दें

■ बच्चों के लंबे समय तक डायरिया पीड़ित रहने से शरीर और मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है बुरा असर

रायपुर/नवप्रदेश। बरसात के मौसम में कई बीमारियों की आशंका रहती है। डायरिया भी इनमें से एक है। डायरिया दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारी है जो जरा सी लापरवाही के चलते गंभीर रूप धारण कर सकती है तथा इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। छोटे बच्चों में डायरिया की बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह बच्चे को एक दिन में ही बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। भारत में जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण डायरिया है।

डायरिया के प्रमुख लक्षणों में बार-बार मल त्याग करना, मल बहुत पतला होना, तीव्र दशाओं में रोगी के पेट के पूरे निचले भाग में दर्द और बेचैनी महसूस होना प्रमुख है। बीमारी बढ़ने पर आंतों में मरोड़ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द भी होने लगता है। डायरिया जल्दी काबू में न आए तो निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे मरीज कमजोरी महसूस करता है। ऐसी स्थिति में बुखार आना सामान्य बात है। शरीर में पानी के साथ खनिज तत्वों की ज्यादा कमी होने लगे तो मरीज बेहोशी की हालत में जा सकता है और स्थिति जानलेवा हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अगर दिन में तीन से ज्यादा बार पानी के साथ अधिक मात्रा में मलत्याग हो रहा हो तो यह डायरिया का लक्षण है। डायरिया में रोगी के शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद शरीर में संक्रमण फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उचित समय पर सही इलाज नहीं होने पर रोगी की जान भी जा सकती है। सामान्य रूप से डायरिया तीन से सात दिनों में ही ठीक हो पाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार तीन तरह के वायरस खासतौर से डायरिया का संक्रमण फैलाते हैं।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के 24 मोटल-रिसॉर्ट को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की कार्रवाई प्रारंभ

■ छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशक 05 सितम्बर 2022 तक कर सकते है आवेदन

रायपुर/ नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के अनुभवी निजी निवेशकों को आमंत्रित कर पर्यटकों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए टूरिज्म बोर्ड अपने मोटल एवं रिसॉर्ट के संचालन के लिए उन्हें 30 वर्षों के लीज पर दिए जाने की कार्यवाही कर रहा है।इसका उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की दिशा को सक्षम गति प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के 24 मोटल- रिसॉर्ट को 30 वर्षों के लिए लीज पर लेने के लिए छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशक 05 सितम्बर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पूर्व में की गई निविदा के माध्यम से रायगढ़ और सरगुजा में स्थित मोटल के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव को समिति द्वारा मान्य किया गया है और शीघ्र ही इन इकाईयों का संचालन सफल निविदाकर्ताओं को सौंपा जावेगा। निजी निवेशको द्वारा मितान मोटल, चठिरमा (सरगुजा) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 15,07,777 रूपए एवं मितान मोटल, कोड़ातराई (रायगढ़) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 25,66,899 रूपए पर 35 प्रतिशत वार्षिक किराया प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है और इन दोनों मोटल्स के संचालन की प्रक्रिया भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के इस प्रयास से स्थानीय एवं देश-विदेश के पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की 10 संचालित एवं 14 असंचालित कुल 24 इकाईयों को 30-30 वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय चरण की निविदा ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की गई है । अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाइट eproc. cgstate. gov.in एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www. chhattisgarhtourism.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के दूरभाष क्र. +91-771-4224621 एवं मोबाइल नं. +91-9300652548 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने का जरिया बनेगी पेशेवर मुक्केबाजी : सीएम

■ ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले 'द जंगल रंबल' का राजधानी के खेलप्रेमियों ने लिया लुत्फ

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। मौका था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले 'द जंगल रंबल' का। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। हमें न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल की महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाने के लिए भी तैयारी करनी है। सीएम ने कहा कि इस आयोजन में आकर अच्छा लगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक पल है। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल अकादमी की स्थापना की गई है और खेलों के लिए अलग से प्राधिकरण भी बनाया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को संवारने के काम एक साथ होगा। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का रोड सेफ्टी मैच हुआ। कई बड़े खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में अब लगातार कोशिश हो रही है, खेलों को बढ़ावा मिले और युवा खेलों के लिए प्रेरित हो।

इंडियन टाइगर का मैच देख रोमांचित हुए दर्शक

बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में पांच मैच खेले गए, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच इंडियन टाइगर विजेंदर सिंह और अफ्रीकन लायन एलियासु सुले को लेकर रहा। इस मैच में विजेंदर ने अपने तगड़े पंच से सुले को मात दी। केवल 2 मिनट 07 सेकेंड में ही एलियासु को इंडियन टाइगर ने ऐसी चोट दी और वे वापसी नहीं कर सकें जिससे विजेंदर सिंह को जीत मिली।

अब 31 अगस्त तक 9वीं से 12वीं तक प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा छात्रहित में मण्डल की मान्यता प्राप्त शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 तक कर दिया है। नियमानुसार प्रवेश के लिए संबंधित शालाओं के प्राचार्यों को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पूर्व में मान्यता प्राप्त शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव की अनुमति से 16 अगस्त 2022 तक प्रवेश दिया जाना था।

खाद्य विभाग द्वारा राईस मिलों में छापामार कार्यवाही

■ 2 राईस मिलों के विरूद्ध केस दर्ज

गरियाबंद (ए.)। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की टीम द्वारा धान का उठाव कर कस्टम मिलिंग का काम नही करने वाले जिले के राईस मिलों में छापामार कार्यवाही की गई। गरियाबंद के कोकड़ी स्थित जयदीप राईस मिल की जांच के दौरान श्री जयदीप सिंह कुकरेजा उपस्थित रहे। जिला खाद्य अधिकारी श्री जे.जे नायक ने बताया कि जयदीप राइस मिल के संचालक द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कुल 13819 क्विंटल धान उठाव किया गया। जिसके विरूद्ध जमा किये जा सकने योग्य चावल की कुल मात्रा 9259 क्विंटल के विरूद्ध मात्र 7498 क्विंटल चावल जमा करना पाया गया। उक्त फर्म में शेष धान 2628 क्विंटल अथवा समानुपातिक चॉवल 1761 क्विंटल पाया जाना था। मिल के भौतिक सत्यापन में धान निरंक एवं चावल 270 क्विंटल पाया गया। इस प्रकार उठाये गये धान के बाजार मूल्य/समर्थन मूल्य के आधार पर 45 लाख रूपये का अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज करते हुये प्राप्त चावल की संपूर्ण मात्रा 270 क्विंटल मूल्य 10 लाख रूपये लगभग को जप्त किया जाकर मिलर की सुपुर्दगी में दिया गया। एक अन्य राईस मिल शम्मी पैडी की जांच में धान एवं चावल का स्टॉक निरंक पाया गया। शम्मी पैडी के प्रोप्राइटर तेजपाल सिंह कुकरेजा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के 12237.83 क्विंटल धान का उठाव कर कुल 8199.35 क्विंटल चावल जमा किया जाना था। किन्तु इसके विरूद्ध मात्र 3764.31 क्विंटल चावल जमा किया गया है। जबकि 4435.04 क्विंटल चांवल जमा किया जाना शेष है। जिस पर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उठाये गये धान के बाजार मूल्य/समर्थन मूल्य 1 करोड़ 28 लाख लगभग का अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया।

//न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार,दुर्ग (छ.ग.)//

रा.प्र.क्र. अ/6, वर्ष 2021-22

।।उद्घोषणा।।

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि:- आवेदक वेदप्रकाश साहू आ स्व श्री जागेश्वर साहू निवासी वार्ड 56 उरला तह. व जिला दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.म. सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 77/6, 175/5, 685/10, 547/5 रकबा 0.1830, 0.1290, 0.560, 0.0090 हे. भूमि आवेदक के पिता श्री जागेश्वर प्रसाद आ. स्व. भुनूराम साहू के नाम के नाम पर वर्तमान पटवारी अभिलेख में दर्ज है जिसमें से जागेश्वर प्रसाद आ. स्व भुनूराम साहू की मृत्यु 16.02.2021 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा फौती नामांतर करने हेतु आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बी-1 की छाया प्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 22.08.2022 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05.08.2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया ।

पेशी दिनांक 22.08.2022

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग**

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर चतुर्थ तल डी ब्लाक इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर

क्र./स्था./दो/भंडार/70/2022-23/2323 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 17.08.2022

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ नया रायपुर इन्द्रावती भवन डी ब्लाक चतुर्थ तल, नया रायपुर को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं आगामी निविदा दर स्वीकृति तक निम्नलिखित सामग्री के लिए इच्छुक दर दाताओं से दिनांक 13.09.2022 तक सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अमानत राशि	प्रदाय वर्ष
1	2	3	4
01	निर्माता कंपनी/अधिकृत विक्रेता/पंजीकृत फर्म के कार्यालयीन स्टेशनरी सामग्री, प्रपत्र 01 के सरल क्र. 01 से 18 तक	रुपए 1,000.00	वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं आगामी निविदा दर
02	निर्माता कंपनी/अधिकृत विक्रेता/पंजीकृत फर्म से रीफलिंग कार्य के लिए प्रपत्र 02 के सरल क्र. 01 से 19 तक	रुपए 1,000.00	स्वीकृति तक प्रभावशील रहेगी।
02	निर्माता कंपनी/ अधिकृत विक्रेता/ पंजीकृत फर्म से नया काट्राईज, सामग्री के लिए प्रपत्र 03 के सरल क्र. 01 से 08 तक	रुपए 5,500.00	

निविदा शुल्क, अमानत राशि की जानकारी के साथ-साथ निविदा की विस्तृत शर्तें (निविदा फार्म) दिनांक 12.09.2022 तक कार्यालयीन समय में लेखा शाखा से प्राप्त की जा सकेगी। **तथा निविदा की जानकारी एवं विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाईड www.uad.cg.gov.in पर भी देखी जा सकती है।**

जी-93700/3

अपर संचालक (वित्त)
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर

//न्यायालय नायब तहसीलदार गुण्डरदेही तिला-बालोद (छ.ग.)//

ईश्तहार

क्रमांक/1577/वाचक/ना.त.ह./2022
गुण्डरदेही, दिनांक 10/08/20222

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक गैंदलाल आ. कार्तिकराम व चिम्मनलाल आ. कार्तिकराम दोनों निवास ग्राम देवरी (ख) प.ह.न. 09 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदकगण के पिता कार्तिकराम आ. बुधराम के नाम पर मौजा ग्राम देवरी (ख) प.ह.न. 09 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद में स्थित भूमि खसरा नं. 104/2, 303/3, 610/3 रकबा क्रमशः 0.29, 0.10,0.03 हे. भूमि तथा ग्राम खप्परवाड़ा प.ह.नं. 09 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद में स्थित भूमि खसरा नं. 290/4, 290/11, 290/19, 290/21 रकबा क्रमशः 0.59, 0.15, 0.54, 0.01, 0.09 हे. कुल खसरा नं. 05 कुल रकबा 1.38 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदकगण के पिता अपने जीवनकाल में ही वसीयतनामा दिनांक 09.02.2018 को आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया है। वसीयतकर्ता कार्तिकराम आ. बुधराम की मृत्यु दिनांक 18.06.2022 को हो गया है। अतः उक्त आवेदित भूमि का नामांतरण वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भ्री हितबद्ध व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो पेशी दिनांक 25/08/2022 के पूर्व स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपना दावा/ आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत समय पश्चात आए आपत्ति/दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/08/2022 को स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से जारी।
जारी दिनांक - 10.08.2022
पेशी दिनांक- 25.08.2022

नायब तहसीलदार गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202208100400169/ अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक खुशाल राव रंगारी आ. स्व. बाबूलाल रंगारी निवासी दल्लीराजहरा बालोद के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि गराम अंजोरा पहन 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 450/16 रकबा 0.020 हे. 2250 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

//न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)//

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ अ-2(3)/वर्ष 2021-22

आवेदिका श्रीमती ममता यादव आ. शम्भूलाल यादव निवासी कायस्थ पारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 28 की भूखंड क्र. 108 क्षेत्रफल 74 वर्गमीटर भूमि धारक शंभूलाल यादव आ. स्व. भुखउ यादव निप. कायस्थ पारा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक शंभुलाल यादव द्वारा उक्त भूखंड में से 39.03 वर्गमीटर का आवेदिका के पक्ष में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 25.04.2022 को निष्पादित किया है। आवेदिका द्वारा उक्त पंजीकृत दान पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से दानकर्ता धारक का नाम विलोपित कर दान की गई भूमि पर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी वयक्ति/संस्था को दावा/आपत्ति हो, तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 31.08.2022 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिस भू-खण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10.08.2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया ।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा-पत्र

स.प्र.क्र./ /अ-6/2020-21/22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है। आवेदक/आवेदिका राहुल मतच्चा पिता/पति/एच.एम. सुंदरराम मोहन राव निवासी ग्राम जवाहर नगर दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.257/86 रबका 0.010 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदिका भूमि के खातेदार एम. सुन्दर राम मोहन राव की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 6/9/2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे सवयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

जारी दिनांक-16/8/22 — **तहसीलदार**
सुनवाई दिनांक-6/9/22 — **दुर्ग**

//न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)//

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक चतुर निषाद आ स्व. मंथीर निषाद साकिन पोटियाकला दुर्ग द्वारा ग्राम खपरी प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. 8/3/3, 8/3/4 रबका 0.1200, 0.2200 हे जो उसके स्व. मंथीर निषाद/प्यारी के नाम पर दर्ज है, की फौती दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनावाई तिथि दिनांक-24/8/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 8/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीय मुहर के साथ जारी किया गया

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग**

कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

// दावा आपत्ति सूचना //

क्र./1844/राज.वि./नामां./2022 — कुम्हारी, दिनांक 13/07/2022

नगर पालिका परिषद कुम्हारी में अपने स्वयं के भवन/भूमियों को क्रय-विक्रय किया जाकर नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरणों पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के तहत नामांतरण किए जाने पर किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ समुदाय को आपत्ति हो तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 15 के अंदर लिखित में नगर पालिका कार्यालय में अपना दावा/ आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भवन/भूमि नामांतरण संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	हस्तांतरणकर्ता का नाम व पता	हस्तांतरिती का नाम व पता	भवन/भूमि का विवरण	नामांतरण का आधार
1	श्री ए.सी. खडका पिता शेख बहादुर, वार्ड क्र. 14 कुम्हारी जिला- दुर्ग (छ.ग.)	श्री अमित कुमार पाण्डेय पिता श्री कामेश्वर पाण्डेय, वार्ड क्र.-14 कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.)	एल.आई.जी.-1/171 खसरा नं.-352/1 वार्ड क्र.-14 कुम्हारी जिला- दुर्ग (छ.ग.)	विक्रयनामा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कुम्हारी

केनरा बैंक Canara Bank (A Government of India Undertaking) Syndicate

रायपुर एसएमई शाखा, श्री लेदर कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, 15-143/144, फूल चौक, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) 492001
फोनः 0771-2534042, E-mail: cb4042@canarabank.com

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस परिशिष्ट IV नियम 8(1)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठित तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन केनरा बैंक की निम्नांकित शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण लेने वाले निम्नलिखित बकायेदार को निम्नांकित सारणी के अनुरूप मांग सूचना तथा उसमें उल्लिखित रकम उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी।

ऋण लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदेय करने में असफल रहने पर, ऋणी/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में कोई लेन-देन न करें और उसमें किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक की निम्नांकित संबंधित शाखा को देय बकाया राशि एवं उस पर ब्याज आदि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है ।

क्र. सं.	ऋणी का नाम	कब्जाधीन सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना राशि	मांग सूचना तिथि / कब्जा सूचना तिथि
1.	मेसर्स श्री साई ट्रेडिंग कम्पनी प्रोप. श्री संजीव कुमार गुप्ता, मकान नं. -1, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर.	स्वामित्व- श्री संजीव गुप्ता पिता- श्री सत्यदेव गुप्ता, तृतीय तल, पॉकेट-सी, सेक्टर-19, रोहिणी, दिल्ली में स्थित एमआईजी फ्लैट नं. 479 का ईएमटी । चौहद्दीः दक्षिण की ओर- एसई अन्य का फ्लैट, उत्तर की ओर- एस डब्ल्यू रोड, पश्चिम की ओर- बी., पूर्व की ओर- एन डब्ल्यू रोड.	₹ 6,45,33,978.99 ब्याज एवं उस पर लागू शुल्क के साथ ।	04.04.2022 / 17.08.2022

दिनांक : 18.09.2022, स्थानः रायपुर (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

संपादकीय

पीएम पद के दावेदारों में होड़

लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का समय शेष है लेकिन अभी से विपक्षी पार्टियों में पीएम पद को लेकर होड़ शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए नित नए नाम सामने आ रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के कई नेता ताल ठोक रहे है। इनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय क्षत्रप है जिनकी पहचान उनके राज्य से बाहर कहीं नहीं है लेकिन वे भी पीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे है। इनमें सबसे आगे नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चल रहे है जिनकी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली है। इसके बाद से वे खुद को इस देश का भावी प्रधानमंत्री मान कर चल रहे है। उनके हालिया बयानों को देखें तो साफ नजर आता है कि उन्होने खुद को देश का भावी प्रधानमंत्री मान लिया है। अब वे सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करने लगे है। उन्होने कहा है कि जब तक वे भारत को दुनिया का नंबर-1 देश नहीं बना देंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि देश को आगे बढ़ाने की बात करता है तो इसका मतलब साफ है कि वह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी विपक्षी पार्टियों को आपस में जोड़कर रखने की बात कही है जिसका आशय स्पष्ट है कि वे भी खुद को भावी प्रधानमंत्री मानकर चल रहे है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी तो पहले से ही प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। महाराष्ट्र में कभी अपने बलबूते पर सरकार न बना पाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार भी खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार मानकर चल रहे है। जगन मोहन भी पीएम पद की दावेदारी में पीछे नहीं है। अब तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखिलेश यादव ने भी मुंगेरी लाल की तरह प्रधानमंत्री पद के हसीन सपने देखने शुरू कर दिए है। अभी चुनाव में वक्त है इस बीच और न जाने कितने नेता प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। राजनीति में महत्वकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है और सपने देखने का सभी को अधिकार है लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष एक जुट हो पाएगा या नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में विपक्षी की एकता तार तार हो चुकी थी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष कितना एकजुट हो पाएगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उनमें कितनी सहमती बन पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा।

विचार

तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी

श्री कृष्ण जन्माष्टमी कोई आम त्योहार नहीं है। भारत और भारतीयता में श्रीकृष्ण रचे-बसे हैं, इसलिए यह लोकजीवन से जुड़ा पर्व है। हम कलाकारों के लिए भारत का अर्थ भाव, राग और ताल भी है। इसमें भाव केवल नृत्य से नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम नौ रस से गुजरते हैं। इसी तरह, राग का अर्थ भी मात्र संगीत नहीं है। इसका मतलब है प्रेम। हम कहते भी हैं कि ईश्वर प्रेमस्वरूप है। और, ताल महज लय नहीं है, बल्कि इसका एक अर्थ माप अथवा दूरी है। यानी, जीवन जीने की कला जो भारत ने विश्व गुरु के रूप में दुनिया को दी है, उसका एक सांकेतिक नाम श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण स्वयं नारायण विष्णु हैं। मानव देह के रूप में अवतरित होकर उन्होंने दिखाया है कि इंसान की क्षमता कितनी है और वह कहां तक पहुंच सकता है। श्रीकृष्ण नटनागर भी हैं और पार्थसारथी भी। वह श्रीमद्भागवत के उद्गाता भी हैं और सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी। श्रीकृष्ण योगेश्वर भी हैं और भोगेश्वर भी। जीवन में संतुलन किस तरह बनाकर रखना है, इसके वह प्रतीक हैं। उन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा, सबको अपनाया है। उन्होंने जीवन के सभी रंगों को ओढ़ा है, जिसका संकेत उनके शीश पर मयूरपिच्छ का होना है। उन्होंने मधुर-मधुर बांसुरी की धुन पर सबको नचाया है। उन्होंने सबको जकड़ा है। सबकी देह में प्राण फूंके हैं। माधुर्य अवतार है उनका। मगर जीवन का वह क्षण, जब हम सबको जूझना पड़ता है, तब श्रीकृष्ण संदेश देते हैं- उठो, और अपना कर्म करो। कर्मयोगी हैं वह। आगे कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना कर्म करो। जब आप फल की उम्मीद करते हुए कर्म करेंगे, तब आपको निराशा भी मिल सकती है। यानी, जो भारत का दर्शन है, उसके एकमात्र प्रतीक हैं वह। वह निराकार भी हैं और साकार भी। निर्गुण भी हैं और सगुण भी। सभी द्वंद्व, जिस बिंदु पर आकर खत्म हो जाते हैं या एकाकार हो जाते हैं अथवा घुल-मिल जाते हैं, वही श्रीकृष्ण हैं। हम कलाकारों के लिए श्रीकृष्ण का विशेष महत्व है। माधुर्य मानव जीवन की पराकाष्ठा है और उसके अवतार श्रीकृष्ण हैं, इसलिए कला जगत में श्रीकृष्ण खासतौर से याद किए जाते हैं। उनमें सभी भाव, राग और ताल दृश्यमान होते हैं। अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी श्रीकृष्ण पूजे जाते हैं। उनको समर्पित गीत-संगीत, कजरी, ठुमरी, पद आदि खूब गाए और नृत्य द्वारा अंकित किए जाते हैं। श्रीकृष्ण जनजीवन में किस कदर बसे हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि शिल्प, बुनाई, चित्रकला, मंदिर आदि सभी जगहों में श्रीमद्भागवत के प्रसंगों को उकेरा गया है और श्रीकृष्ण की कहानी पेश की गई है। भरतनाट्यम् हो या ओडिसी, सभी में कृष्ण से जुड़े पदों की प्रस्तुति होती है। मैं तो एक अनूठा प्रयोग भी कर रही हूं। मैंने 2009 से श्रीकृष्ण पर नाट्यकथा की शुरुआत की है। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन के हरेक पहलू को दिखाया जाता है। हर प्रस्तुति में कुछ न कुछ नया प्रसंग पेश किया जाता है। श्रीकृष्ण की एक और विशेषता है। उनको जितना बुरा-भला कहा गया है, शायद ही किसी अन्य देवता को कहा गया होगा। वह अकेले ऐसे प्रतीक हैं, जिन्हें जन्म से लेकर अंत तक छलिया, निर्मोही, माखनचोर जैसे शब्द कहे गए। उन्होंने सबको आनंद से स्वीकार किया।

'भाई-भतीजावाद' लोकतंत्र के लिए खतरनाक?

राजीव खंडेलवाल

> बीजू पटनायक, यशवंतराव चव्हाण, वेद प्रकाश गोयल, एसआर बोम्मई, ठाकुर गोविंद नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा के परिवारवाद को हम उपरोक्त उल्लेखित परिवार वालों के साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन सब परिवारों में परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने के बाद तुरंत या अधिकतर मामलों में कुछ या काफी समय बाद परिवार के सदस्य सत्ता की राजनीति में उभर कर आए। अर्थात राजनीति में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनकी योग्यता भी एक प्रमुख कारक रही है। बड़ा प्रश्न यह भी है कि वर्तमान लोकतंत्र के लिए किसी भी प्रकार का मौजूद परिवारवाद हानिकारक कैसे हैं? विपरीत इसके जिस लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हम थकते नहीं है, जैसे कि स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले के भाषण में भारत को लोकतंत्र की जननी बतलाया।

देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में मनाया जा रहे अमृत महोत्सव के समापन पर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह कई नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण सार्थक बातें कहीं, जो अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों से हट कर उनकी एक विशिष्ट पहचान व ''शैली'' बन चुकी हैं। अगले 25 वर्षों के लिए ''पंच प्राण'' (प्रतिज्ञा) का संदेश दिया, तो ''परिवारवाद'' को ''लोकतंत्र'' के लिए खतरा और भ्रष्टाचार की जननी बतलाकर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री के ''सांकेतिक'' संदेश द्वारा 'परिवारवाद' पर चिंता को मीडिया चैनलों ने तुरंत ''लपक'' लिया और बहसों में विपक्षी दलों पर लगभग एक तरफा प्रहार करते हुए परिवारवाद की ''लकीर पीटना'' शुरू कर दिया। ''परिवारवाद'' एक समस्या है, इस चिंतन पर कार्य करने की बजाय ''तू डाल डाल मैं पात पात'', 'मेरा परिवारवाद और तेरा परिवारवाद' के बीच परिवारवाद की समस्या (यदि कोई हैं भी तो? जिस पर आगे चर्चा की जा रही है) ''जस से तस'' मात्र उलझ कर रह गई हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री ने किस परिवारवाद? की और संकेत किया, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा। यह बात उनके मन में ही है, जिसे हम शायद आगे मन की बात में जान सकते हों। फिलहाल मीडिया से लेकर राजनीतिक दल प्रधानमंत्री की परिवारवाद की बात विस्तृत रूप से ''मन की बात'' में आने के पूर्व ही अपनी-अपनी (कु)-दृष्टि से अर्थ और अनर्थ निकाल रहे हैं? आइए पहले परिवारवाद है क्या? इसे समझ लिया जाए। तब फिर परिवारवाद'' भ्रष्टाचार, चाचा-भाई-भतीजावाद को कितना प्रोत्साहित करता है और लोकतंत्र के लिए यह कितनी खतरे की घंटी है? इन सब मुद्दो पर पृथक-पृथक और समेकित रूप से विचार करने की गहन आवश्यकता है। तभी हम किसी निश्चित परिणाम पर पहुंच कर समस्या का समाधान निकाल पाने की स्थिति में हो सकते हैं? मोटे रूप से ''राजनीति'' में ''परिवारवाद'' का मतलब होता है, एक ही परिवार के कई व्यक्तियों अर्थात मां, बाप, भाई, भतीजा, (इसी से 'भाई-भतीजावाद' भी पनपता है?) बहन इत्यादि सदस्य गणों का राजनीति में एक साथ, आगे-पीछे या एक के बाद एक सत्ता के मलाईदार पदों पर बैठकर सत्ता को परिवार के इर्द-गिर्द केन्द्रीकृत कर राजनीति करें। यही परिवारवाद आगे जाकर

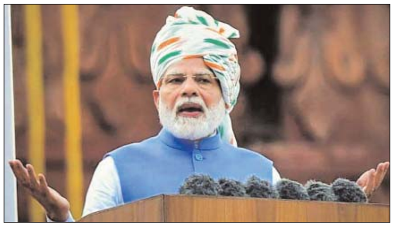

''वंशवाद'' में तब बदल जाता है, जब बाप का बेटा-बेटी, बेटे का बेटा-बेटी अर्थात पोता-पोती और आगे इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों के राजनैतिक नेतृत्व संभालने पर वंशवाद हो जाता है। उदाहरणार्थ गांधी परिवार जहां नेहरू, इंदिरा, राजीव और राहुल गांधी के पीढ़ी दर पीढ़ी शीर्षस्थ नेतृत्व संभालने के कारण यह विशुद्ध वंशवाद ही तो है। और यह ''हाथी के पांव में सबका पांव'' वाले परिवारवाद की अंतिम उच्चतम सीमा हैं।

वैसे ''वंशवाद'' भारतीय राजनीति में नया नही हैं। इस देश में जमाने से हिन्दू-मुस्लिम शासक राजाओं का राज रहा है, जो 'राजतंत्र' होकर 'वंशवाद' का ही तो रूप है। प्रधानमंत्री के 'पंच प्राण' में तीसरी प्रतिज्ञा विरासत पर गर्व होने बाबत है। प्रधानमंत्री की इस 'प्रतिज्ञा' का जब कांग्रेस अक्षरसः पालन कर ऊपर उल्लेखित राजतंत्र की वंशवाद की ''गौरवशाली विरासत'' को अपना रही है, तब कांग्रेस नेतृत्व पर उंगली उठाना क्यों? भारतीय राजनीति का वर्तमान स्वरूप स्थायी रूप से इस तरह का हो गया है कि जहां विपक्ष द्वारा देश हित में सत्ता पक्ष की बात को स्वीकार करने के बावजूद भी उसकी आलोचना करना सत्ता पक्ष अपना राजनैतिक कर्तव्य मानता है, क्योंकि वह स्वीकारिता विपक्ष ने की है। इस ढ़र्रे व ढांचे को बदलना ही होगा और देश हित के मुद्दों पर सर्वानुमति बनानी ही होगी। परन्तु वर्तमान में लोकतंत्र होने के बावजूद भी यह ''लोकतंत्र'' द्वारा उत्पन्न लोकतांत्रिक वंशवाद हैं। इस वंशवाद के आगे की स्थिति में जब एक ही व्यक्ति लम्बे समय तक निर्वाचित पदों पर बना रहता है, जैसे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान, बिहार के नीतीश कुमार, उडीसा के नवीन पटनायक आदि-आदि, तब अधिनायकवाद की बू आने लगती है। और अंतिम मुद्दा/रोग परिवारवाद से आगे बढ़कर जातिवाद क्या है, यह बतलाने की आवश्यकता तो बिलकुल भी नहीं हैं।

आगे परिवारवाद के प्रमुख उदाहरणों में चैधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, जितेंद्र प्रसाद, हेमवती नंदन बहुगुणा (उत्तर प्रदेश), शीला दीक्षित (दिल्ली), कृष्ण वंश के 122 वे राजा वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल (हिमाचल प्रदेश), ललित नारायण मिश्र, भागवत झा आजाद, रामविलास पासवान, लालू यादव, (बिहार), शिंबू सोरेन, (झारखंड), यशवंतराव चव्हाण, जवाहर लाल दर्डा, वेदप्रकाश गोयल, शरद पवार, नारायण राणे, बाला साहेब ठाकरे, एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र), बीजू पटनायक (उड़ीसा), चैधरी देवी लाल, भजन लाल, बंसीलाल (हरियाणा), सिंधिया परिवार, (मध्यप्रदेश एवं राजस्थान) पंडित रविशंकर शुक्ल, गोविंद नारायण सिंह, गुलशेर अहमद, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश), अजीत जोगी (छत्तीसगढ़), एच डी देवेगोडा, एसआर बोम्मई (कर्नाटक), प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू (पंजाब), शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद अहमद (काश्मीर), के चन्द्र शेखर राव, असदुद्दीन औवेशी (तेलंगाना), एम करुणानिधि (तमिलनाडु), एनटी रामा राव, वाई एस रेड्डी, (आंध्र प्रदेश), तरूण गोगई (असम), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), रिन चिन खारु (अरुणाचल प्रदेश) आदि आदि। सूची काफी लंबी है और मेरे अपने प्रदेश ''मध्यप्रदेश'' जो कई राजाओं महाराजाओं की रियासतें (स्टेट) रही है, वहां परिवारवाद-वंशवाद तो एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसे जनता ने समय-समय पर अधिकाशंतः स्वीकार भी किया है। बड़ा प्रश्न यह है कि ऊपर उल्लेखित या अलिखित अनेक ऐसे परिवार, परिवारवाद की उस परिभाषा में आते हैं, जिनकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के भाषण में इशारा कर रहे थे? चूँकि भाजपा में भी अनेक अनेक ऐसे उदाहरण ''परिवारवाद'' के हैं, जहां एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एक साथ अथवा आगे-पीछे विभिन्न चुने हुए पदों पर राजनीति में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा में लगभग 11 प्रतिशत चुने हुए प्रतिनिधि वंशवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एनएनआई को कुछ समय पूर्व दिए गए एक इंटरव्यू में परिवारवाद से किनारा करते हुए वंशवाद को जम कर कोसा था।

जन्माष्टमी पर लें मन और बुद्धि को निर्मल रखने का संकल्प

योगेश कुमार गोयल

> *वसुदेव ने भगवान की आज्ञा पाकर शिशु को छाज में रखकर अपने सिर पर उठा लिया। यमुना में प्रवेश करने पर यमुना का जल भगवान श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए हिलोरें लेने लगा और जलचर भी श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल पहुंचकर वसुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। घर के सभी लोग उस समय गहरी नींद में सोये हुए थे पर सभी दरवाजे खुले पड़े थे। वसुदेव ने नंद की पत्नी यशोदा की बगल में सोई कन्या को उठा लिया और उसकी जगह श्रीकृष्ण को लिटा दिया। उसके बाद वसुदेव मथुरा पहुंचकर अपनी कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में पहुंचते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और पहरेदारों की नींद खुल गई। कंस को कन्या के जन्म का समाचार मिला तो वह तुरन्त कारागार पहुंचा और कन्या को बालों से पकड़कर शिला पर पटककर मारने के लिए ऊपर उठाया लेकिन कन्या अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई।*

जन्माष्टमी का त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपक्ष कृष्णाष्टमी को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का भारतीय संस्कृति में इतना महत्व इसीलिए माना गया है क्योंकि श्रीकृष्ण को भारतीय संस्कृति का विलक्षण महानायक माना गया है। उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके जीवन दर्शन और अलौकिक लीलाओं को समझना जरूरी है। द्वापर युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन नामक राजा का शासन था। उनका पुत्र था कंस, जिसने बलपूर्वक अपने पिता से सिंहासन छीन लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव के साथ हुआ। एक दिन जब कंस देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस! जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का आठवां बालक तेरा संहारक होगा। आकाशवाणी सुन कंस घबरा गया। उसने देवकी की ससुराल पहुंचकर जीजा वसुदेव की हत्या करने के लिए तलवार खींच ली। तब देवकी ने अपने भाई कंस से निवेदन किया कि हे भाई! मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी, उसे मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगी, उसके साथ तुम जैसा चाहे व्यवहार करना पर मेरे सुहाग को मुझसे मत छीनो।

कंस ने देवकी की विनती स्वीकार कर ली और मथुरा लौट आया तथा वसुदेव एवं देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने अपने गर्भ से पहली संतान को जन्म दिया, जिसे कंस के सामने लाया गया। देवकी के गिड़गिड़ाने पर कंस ने आकाशवाणी के अनुसार देवकी की आठवीं संतान की बात पर विचार करके उसे छोड़ दिया पर तभी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और उन्होंने कंस को समझाया कि क्या पता, यही देवकी का आठवां गर्भ हो, इसलिए शत्रु के बीज को ही नष्ट कर देना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर कंस ने बालक को मार डाला। इस प्रकार कंस ने देवकी के गर्भ से जन्मे एक-एक कर 7 बालकों की हत्या कर दी। जब कंस को देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने बहन और जीजा पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपक्ष की कृष्णाष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण ने जन्म लिया। उस समय घोर अंधकार छाया हुआ था तथा मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तभी वसुदेव जी

की कोठरी में अलौकिक प्रकाश हुआ। उन्होंने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने खड़े हैं। भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन्होंने वसुदेव से कहा, ''अब मैं बालक का रूप धारण करता हूं। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो, जहां अभी एक कन्या ने जन्म लिया है। मेरे स्थान पर उस कन्या को कंस को सौंप दो। मेरी ही माया से कंस की जेल के सारे पहरेदार सो रहे हैं और कारागार के सारे ताले भी अपने आप खुल गए हैं। यमुना भी तुम्हें जाने का मार्ग अपने आप देगी।''

वसुदेव ने भगवान की आज्ञा पाकर शिशु को छाज में रखकर अपने सिर पर उठा लिया। यमुना में प्रवेश करने पर यमुना का जल भगवान श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए हिलोरें लेने लगा और जलचर भी श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल पहुंचकर वसुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। घर के सभी लोग उस समय गहरी नींद में सोये हुए थे पर सभी दरवाजे खुले पड़े थे। वसुदेव ने नंद की पत्नी यशोदा की बगल में सोई कन्या को उठा लिया और उसकी जगह श्रीकृष्ण को लिटा दिया। उसके बाद वसुदेव मथुरा पहुंचकर अपनी कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में पहुंचते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और पहरेदारों की नींद खुल गई। कंस को कन्या के जन्म का समाचार मिला तो वह तुरन्त कारागार पहुंचा और कन्या को बालों से पकड़कर शिला पर पटककर मारने के लिए ऊपर उठाया लेकिन कन्या अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई। आकाश में पहुंचकर उसने कहा, ''मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तेरा संहारक गोकुल में सुरक्षित है।'' यह सुनकर कृष्ण के मामा कंस के होश उड़ गए। वह कृष्ण को ढूंढ़कर मारने के लिए तरह-तरह के उपाय करने लगा। कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने श्रीकृष्ण का वध करने के लिए अनेक भयानक राक्षस भेजे परन्तु श्रीकृष्ण ने उन सभी का संहार कर दिया। कंस का वध करने के बाद श्रीकृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता-पिता वसुदेव तथा देवकी को कारागार से मुक्त कराया। तभी से भगवान श्रीकृष्ण के जनमोत्सव की स्मृति में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। वास्तव में श्रीकृष्ण की लीलाओं को समझना पहुंचे हुए ऋषि-मुनियों और बड़े-बड़े विद्वानों के बूते से भी बाहर है। जन्माष्टमी का पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी बुद्धि और मन को निर्मल रखने का संकल्प लेते हुए अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष रूपी मन के विकारों को दूर करें।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

रिश्ते भी साँस

रिश्ते भी साँस लेते हैं, जन्मते हैं, जीतें हैं, मरतें हैं, अनुभूत करते हैं, अभिभूत होते हैं, अधरों पर मधुर मुस्कान रचकर, ज़िन्दगी में रंग भरते हैं, किंतु जब कभी छीन लिया जाता है इनसे इनका हृदयांतस प्रेम, आस्था और विश्वास दरक जातें हैं रिश्ते अन्तिम सांस लेकर दम तोड़ देतें हैं तब यही सच्चे किंतु अनमोल रिश्ते। - **ममता अमर**

खास पाती | शूल पावन धरा पर बोने न

शूल पावन धरा पर बोने न देगा। वीर अरि को चैन से सोने न देगा। प्रचंड तेज भाल पर, निज प्राण वारे, अपलक दृष्टि से, सदा सरहद निहारे, भारती की सुरक्षा का हित है साधा, आंख मां की नम कभी होने न देगा। गुल खिलें गुलफाम में चहकें परिंदे, सांस भी लेने नहीं पाएं दरिंदे, पाट देगा इस धरा को वह शवों से, काल को भी ख्वाब संजोने न देगा। वार देगा प्राण भी अपने वतन पर, लिपटा पावन तिरंगा हो कफ़न पर, झूल जाएगा भले फांसी पर हंस के, शान अपने हिंद की खोने न देगा। शूल पावन धरा पर बोने न देगा। वीर अरि को चैन से सोने न देगा। - **दीपा गुप्ता**

जाने क्यूँ दिल मेरा नाराज रहता

जाने क्यूँ दिल मेरा नाराज रहता है, सबसे कबसे जाने क्यूँ दिन जरा बदला बदला है, मनसे तबसे ना जाने क्यूँ होती है, रातों की खामोशी, जाने क्यूँ अंधेरों में ही जलती है रंगों की बदहोशी। किसकी है सिफारिश ये किसकी है गुजारिश। दिल जो धड़कता है कहने को हंसता है कबसे सबसे होने दो, जो होता है, खो जाने दो जो खो जाता है। हमसे रबसे। - **सुलोचना खुराना**

महुआ के पतरी म, पसहर के भात

महुआ के पतरी म, पसहर के भात। मिंझर के चुरही, भाजी के छै जात। भंइस के दही संग, पाबोन परसाद। दाई पोता मार के, दिही आसिरबाद। महतारी मन लइका खातिर, करे हे उपास। जुग जुग जिए मोर लइका, अइसे बिस्वास। महतारी मन के सदा, सजे रहय सिंगार। जम्मो झन बर सुग्घर हो, कमरछठ तिहार। - **कवि सुशिल भोले**

एक तरफ मोदी जी

एक तरफ मोदी जी मुस्लिम समुदाय के दिल जीतने की मुहिम में लगे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में हिंदूओं को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। कर्नाटक में भी हिंदूओं की हत्या की जा रही है। सिर तन से जुदा का सिलसिला रुका नहीं है। पी एफ आई जैसे संगठन पर बैन अभी तक नहीं लगाया गया है। अब ऐसे में मोदी जी के भाइचारे की बात समझ से परे है।

-एल.एस. बिष्ट

हमने अपने हर अश'आर में मुल्क़

हमने अपने हर अश'आर में मुल्क़ का इंतख़ाब किया है, कुछ इस तरह हमने अपना गुलिस्ताँ आबाद किया है, वो जो देते हैं बारहा ज़ख्म सरजमीं को हमारे, नेस्तनाबूद कर इरादों को उनके, उन्हें नाशाद किया है, है माँ की दुआ जो लहू से ज़मीं सींचने का है हुनर, ये लहू जाने कितने फतह की बुनियाद रहा है, वजूद उनका क्या, जो ग़ैरों के घर फूंक देते हैं पल में, हमने खुद बनकर चराग़ आसमाँ को आबाद किया है। - **शिल्पी अग्रवाल**

आंखों से कत्ल कर के ले ली जान

आंखों से कत्ल कर के ले ली जान प्रिय तुम तो तुम हो गये कितना तुम गये मालूम नहीं रुसवाईयों से अब अनजान बनते तुम जा रहे तुम जहाँ तुम्हें जाना है रोकेंगे नहीं रात जगने की सब के बस की बात नहीं है अच्छा हुआ कि तुम मुझे भूले हो मैं कहां भूली।

- **प्रीती श्रीवास्तव**

जाने कितने दिनों का ख्वाब मेरा

जाने कितने दिनों का ख्वाब मेरा टूट गया था। मेरा खुदा ऐसा उस दिन मुझसे रूठ गया था। जीवन से जुड़ी यादें मुझसे लिपट के रो पड़ी। मेरे सिर से छत, हाथों से हाथ छूट गया था। लाचारी से नसीब सर झुकाए पास बैठा था। सब कुछ कोई 'नीर' का पल में लूट गया था। - **निरंजन 'नीर'**

वो क्षण बड़े ही अनमोल हैं,

वो क्षण बड़े ही अनमोल हैं, जो मैंने रंगों के संग जिया जो मैं अभिरंगों में जिया तुझको जिया खुद को जिया समग्र संसारिक पलों को जिया वो क्षण बड़े ही अनमोल हैं, खुद खोकर पाया किसी को अपना सब लौटाया किसी को बीच सागर में नितान्त अकेला स्व को मिटा जब तुझको जिया वो क्षण बड़े ही अनमोल हैं। **-ललित उपाध्याय**

QUIZ TIME

1) बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में क्यों खुले रहते हैं?

2) एकता एवं अनुशासन किसका आदर्श वाक्य है?

3) गाँधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धान्त पर आधारित थी?

4) संजीवनी पत्र का संबंध किससे है?

5) मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते है (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (3) ग्रामीण सहकारिता (4) कृष्ण कुमार मिश्र (5) माओपाटा

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1600- मुगल बादशाह अकबर ने अहमद नगर पर कब्जा किया। 1666- शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार। 1909- इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे में पहली ऑटोमोबाइल दौड़ शुरु हुई। 1918- भारत के नौवें राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का जन्म । 1919- अफगानिस्तान देश को ब्रिटेन से पूर्ण आजादी मिली। 1934- जर्मन जनमत संग्रह 1934 में फुलर के शीर्षक के साथ राज्य के प्रमुख के रूप में हिटलर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। 1949- भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बना। 1960- स्पूतनिक 5 अंतरिक्ष यान से दो कुत्ते और तीन चूहे अंतरिक्ष में भेजे गए। 1964- संचार उपग्रह सिनकोम 3 का प्रक्षेपण। 1944- भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकडी को खदेडा गया। 1955- अमेरिका ने साइकिल पर आयात शुल्को 50 फीसदी बढाया। 1964- पहला भूगर्भीय संचार उपग्रह सिनकॉम 3 लॉन्च किया। 1966- तुर्की में भूकंप से 2400 लोगों की मौत। 1973- फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। 1977- सोवियत रूस ने परमाणु परीक्षण किया। 1978- ईरान के सिनेमा रेक्स में आग लगने से 400 से अधिक मौत। 2006- इजरायल ने फिलीस्तीन उपप्रधानमंत्री को गिरफ़्तार किया। 2009- इराक की राजधानी बगदाद श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 101 की मौत। 2013- बिहार में धामरा घाट ट्रेन दुर्घटना कम से कम 37 लोगों की मौत। 2013- भाषा विज्ञानी, अनुवादक और हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार रोनाल्ड स्टुअर्ट मेक्ग्रेगॉर का निधन।

बीएसपी के मुख्य चिकित्सालय में अपग्रेडेड व उन्नत नवजात आईसीयू का हुआ शुभारंभ

भिलाई के इस्पात बिरादरी को मिली बेहतर चिकित्सा की एक और सौगात

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस्पात बिरादरी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किया है। यहां तक की अस्पताल की पुरानी सुविधाओं को भी और अधिक उन्नत बनाने के समग्र प्रयास को मूर्त रूप दिया है। इसका ताजा तरीन उदाहरण है नवजात (नियोनेटल) आईसीयू का अपग्रेडेशन व उन्नयन।

निदेशक प्रभारी ने किया उद्घाटन

आजादी का अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के इस अपग्रेडेड व उन्नत नवजात आईसीयू का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। भिलाई के इस्पात बिरादरी को एक और सौगात मिला।

इस अवसर पर संयंत्र के कार्यपालक निदेशक प्रभारी (कार्मिक एवं प्रशासन), केके सिंह, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) एके भट्टा, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) अंजनी कुमार, कार्यपालक निदेशक (खदान), तपन सूत्रधार, कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), एमएम गद्रे, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं), एस मुखोपाध्याय, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा), डीएन करन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) डॉ एम रविन्द्रनाथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमोद बिनायके सहित वरिष्ठ चिकित्सकों व चिकित्सा बिरादरी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ने चिकित्सकों व उच्च अधिकारियों के साथ उन्नत नियोनेटल आईसीयू का दौरा किया और सुविधाओं का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई के नवजात आईसीयू को 1988 में बाल चिकित्सा आईसीयू से अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे बीएसपी अस्पताल में नवजात शिशुओं की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की जा सके। साथ ही क्रॉस संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। अपने स्थापना काल से ही नियोनेटल आईसीयू हजारों नवजात शिशुओं की जीवनरक्षा कर चुका है। बीएसपी अस्पताल के नवजात आईसीयू को 1994 में नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया द्वारा लेवल 2ए की मान्यता प्राप्त है। सीएमओ इंचार्ज डॉ एम रवींद्रनाथ तथा सीएमओ डॉ प्रमोद बिनायके के मार्गदर्शन में अतिरिक्त सीएमओ एवं एनआईसीयू के प्रभारी, डॉ सुबोध साहा, महाप्रबंधक (एम एंड एस) बलबीर सिंह तथा शाहिद अहमद के अथक प्रयासों से इस उन्नयन कार्य को मूर्त रूप दिया जा सका।

कोहका में आयुक्त ने किया निरीक्षण, निकासी हेतु नाली निर्माण के निर्देश

■ हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर का भी किया निरीक्षण

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आर्य नगर एवं कोहका क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोहका के हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने व्यापक सफाई रखने के निर्देश दिए, अस्पताल के सामने की झाड़ी कटाई के लिए उन्होंने स्वास्थ्य अमला को कहा। निरीक्षण करते हुए आयुक्त स्कूल परिसर भी पहुंचे, स्कूल के टूटे हुए बाउंड्री वाल को संधारण कराने के निर्देश उन्होंने दिए। वहीं उन्होंने अंदरूनी मोहल्ले का भी निरीक्षण किया और नाली सफाई व्यापक रूप से करने कहा, उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नालियों की सफाई लगातार होती रहे जिससे पानी कर फ्लो बना रहेगा और निकासी की व्यवस्था सुगम हो पाएगी। तालाब का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ओवरफ्लो के पाइप की सफाई करने के निर्देश दिए ताकि ओवरफ्लो का पानी आसानी से निकल सके। आर्य नगर में भ्रमण करते हुए उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया, कुछ स्थानों पर पानी निकासी के लिए नाली निर्माण किए जाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सफाई व्यवस्था भी देखी। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने शहर में बारिश को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जलभराव वाले स्थानों से अस्थाई निकासी की व्यवस्था कर पानी को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वही डेंगू एवं अन्य बीमारियों को देखते हुए जल जमाव वाले स्थानों में मलेरिया एवं जला ऑयल का छिड़काव किया जा रहा है। आज निगमायुक्त के निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त मनीष गायकवाड, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, सुपरवाइजर एवं जोनल अमित दुबे आदि मौके पर मौजूद रहे।

■ न्यूज गैलरी

प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर 288 दुकानों पर कार्रवाई, 1.34 लाख जुर्माना

भिलाई नगर (नव प्रदेश)। भिलाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई कर रही है इसी तारतम्य में 288 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 134200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाया जा रहा है वहां इसे जब्ती करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। निगम ने अपील की है कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया गया है। भिलाई निगम ने 288 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 134200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं शुष्क दिवस पर दुर्ग शहर क्षेत्र में बंद रहेंगे मदिरा दुकान

दुर्ग (नव प्रदेश)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्कल्क दिवस के दौरान कार्यवाही किया जाने के आदेश दिया गया है। दुर्ग शहर सीमान्तर्गत समस्त देशी शराब एवं विदेशी शराब दुकानों सहित फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल - बार, क्लब आदि को बंद रखा जाएगा। शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी नही दी जाएगी। गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों में भी अनुमति नही दी जाएगी। आयुक्त प्रकाश सर्वे के द्वारा स्वास्थ्य विभाग व बाजार विभाग को निर्देश अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों में कार्यवाही कर दोषियों के विरूद्ध जब्त व जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं

भिलाई (नव प्रदेश)। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। श्री साहू ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि भगवान् श्री कृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने, दीन-दुखियों की सेवा करने एवं अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने का सन्देश दिया है। उनके बाल स्वरूप से द्वारिकाधीश बनने तक का सम्पूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। गृहमंत्री साहू ने आगे कहा कि श्री कृष्ण जी के सम्पूर्ण जीवन से हमें कर्म, प्रेम, ज्ञान, न्याय और भक्ति की सीख मिलती है। भगवान कृष्ण अतीत और वर्तमान में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे।

गंजमंडी पानी टंकी का आयुक्त ने किया निरीक्षण

■ विधायक ने महापौर एवं एल्डरमेन की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस को रवाना किया

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग ! शासन की महती योजना अमृत मिशन फेस 1 के तहत् नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में पूरी आबादी को पेयजल संकट से निजात दिलाने लगातार प्रयासरत् है । शहर विधायक अरूण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा अमृत मिशन योजना की लगातार मॉनिटरिंग एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के मार्ग दर्शन में सभी कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये है । आज निगम आयुक्त ने अमृत मिशन के तहत् निर्मित गंजमंडी पानी टंकी का निरीक्षण किया उनके द्वारा उपस्थित कार्यपालन अभियंता प्रमोद दुबे, एस.डी. शर्मा, सब इंजिनियर भीम राव को तुरंत पानी टेस्टिंग हेतु टंकी में पानी भरने के निर्देश दिये । अमृत मिशन योजना के तहत् निर्मित इस पानी टंकी से पानी सप्लाई प्रारंभ होने से शहर की शत्-प्रतिशत् आबादी को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा । शहर की गंजमंडी पानी टंकी जो सबसे बडी पानी टंकी है जिसका निर्माण अमृत मिशन योजना के तहत् किया गया है । जिसकी क्षमता 3400 किलो लीटर है इस पानी टंकी में टेस्टिंग के लिए पानी भरने के निर्देश दिये गये है । टेस्टिंग के पश्चात् इस टंकी से जल प्रदायगी प्रारंभ होने पर शहर के मध्य भाग स्थित केलाबाडी, कसारीडीह , गंजपारा, ऋषभ नगर क्षेत्र के लगभग 40000 परिवारों को अमृत मिशन योजना के तहत् लाभान्वित होंगे।

बीएसपी के बीएम ठाकुर ने राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता रजत पदक

भिलाई (नव प्रदेश)। 05 से 06 अगस्त को पटना (बिहार) में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के परिवहन एवं डीजल संगठन में कार्यरत बी एम ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया है। इससे पूर्व भी वे बॉडी लिफ्टिंग की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पॉवर लिफ्टिंग में अनेकों बार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है। पिछले 20 वर्षो से भी अधिक समय से सेक्टर-6 स्थित पावर जिम में कृष्णा साहू (अन्तर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर एवं रेफ री) के मार्गदर्शन में वे निरन्तर प्रयास करते आ रहे हैं। श्री ठाकुर ने अपने इस उपलब्धि का श्रेय उनके कोच श्री कृष्णा साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं उनके अनुभाग प्रमुख योगेश सिंह ठाकुर के सहयोग को दिया है।

दैहान में मंदिर बनाने महापौर ने किया भूमिपूजन

प्रदेश महामंत्री की मौजूदगी में काम शुरू करने तोड़ा नारियल

नव प्रदेश संवाददाता

रिसाली। डुंडेरा स्थित दैहान में मंदिर का जीर्णोद्धार करने क्षेत्रिय विधायक व लोकनिर्माण एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राशि उपलब्ध कराई है। मंदिर को नए सिरे से बनाने महापौर शशि सिन्हा व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेन्द्र साहू ने भूमिपूजन किया। मंदिर जीर्णोद्धार में 5 लाख खर्च किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि डुंडेरा दैहान स्थित राधाकृष्ण का मंदिर 30 बरस पुराना है। नागरिक जन्माष्टमी व दीपावली त्यौहार के समय भाईदूज के दिन धूम धाम से पूजा अर्चना करते है। मंदिर का प्लास्टर पुराना होने की वजह से झड़ने लगा था। मंदिर को नए सिरे से बनाने के लिए नागरिकों ने मंत्री को ज्ञापन सौपा था। राशि स्वीकृत होने पर महापौर शशि सिन्हा ने पूजा अर्चना कर नारियल तोड़कर भूमिपूजन किया। इस अवसर पर सभापति केशव बंछोर, एमआईसी सद्स्य अनूप डे, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू, सनीर साहू, पार्षद सारिका साहू, टिकम सिंह, रोहित धनकर, रेखा देवी, एल्डरमेन तरूण बंजारे, संगीता सिंह, संतोष यादव, शिशिर साहू, संध्या वर्मा आदि उपस्थित थे।

मंदिर के नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। मातर उत्सव व मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुहन यादव ने व अन्य सद्स्यों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेन्द्र साहू का स्वागत खुमरी पहनाकर किया। वही शौर्य के प्रतीक लाठी भेंट की।

महापौर ने किया कार्य शुभारंभ

मंदिर जीर्णोद्धार भूमिपूजन से पहले महापौर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रूआबांधा पहुंचे। उन्होंने सीसी रोड निर्माण कार्य आरंभ करने नारियल तोड़ा। उल्लेखनीय है कि यहां पर 18 लाख की लागत से सीसी रोड बन रहा है। सड़क की लंबाई लगभग 400 मीटर है।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषण-पत्र

रा.प्र.क्रं./202208100700009/अ-6/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका दीपक कुमार शर्मा पिता स्व. महावीर प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम से.2-भिलाई तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बातुलवार्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 142/18 (142/19) रकबा 0.025 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार विमला शर्मा मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 18/08/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जोवगा।

आज दिनांक 01/08/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक :- 01/08/22 तहसीलदार
सुनवाई दिनांक 18/08/22 दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला- दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/6 वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मंजू मिनल आ महेरा साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम चिखली प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. 334/2 रकबा 0.200 हे. जो उसके स्व. महेश कुमार के नाम पर दर्ज है, की फौती दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 29/8/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक/ /प्र.1अति. तह./2022 दुर्ग दिनांक 2022

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक नंदकुमार आ सदवा साकिन कुरूद द्वारा ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. 383 रकबा 0.77 हे. भू.रा. 1.85/- रूपये से संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 29/8/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषण-पत्र

रा.प्र.क्रं./202207100207/अ-6/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका श्रीमती रमा कर्मकार पिता/पति स्व. भिभिर कुमार कर्मकार निवासी ग्राम मैत्री नगर भिलाई तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 495/14 रकबा 0.010 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार भिभिर कुमार कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 9/9/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जोवगा।

आज दिनांक 12/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक :- 12/08/22 तहसीलदार
सुनवाई दिनांक 12/8/22 दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्रं./202206103300048/अ-6, वर्ष /2021-22

//उद्घोषण//

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बिन्दुमती पाण्डेय ध.प. सुनील पाण्डेय निवासी विजय नगर दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम उरला प.ह.न. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 442/130 रकबा 0.019 हे. भूमि आवेदिका की पिता मोहन लाल पाण्डेय के नाम पर वर्तमान पटवारी अभिलेख में दर्ज है जिसमें मोहन लाल पाण्डेय की मृत्यु 29.11.2017 को हो चुकी है। भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत वसीयत नामा के आधार पर आवेदिका के नाम पर नामानतर करने हेतु आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बी-1 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25/08/2022 अथवा प्रकषन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकतें हैं। समयावधि समाप्त होने पर दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12.08.2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

पेशी दिनांक 25.08.2022

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

!! न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1, (छ.ग.) !!

उद्घोषण

ई. कोर्ट क्रमांक / /अ-6/वर्ष/2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक क्रेता :- बबलू प्रजापति पिता श्री भादई प्रजापति जाति कुम्हार निवासी- आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 11 उतई, तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम उतई प.ह.नं. 42 रानि में उतई तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं 276/4 रकबा 0.0690 हे. में से 2110 वर्गफीट लगान अभिलेख अनुसार भूमि विक्रेता सुमित्रा पिता श्री टोपसिंग जाति तेली पता- मकान क्रमांक 128, संगम चौक, वार्ड क्रमांक 12, ए.सी.सी. जामुल तह. व जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20.07.2022 को क्रय किया गया है उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रामाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवो संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.08.2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 12.08.2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
दुर्ग-1 (छ.ग.)

।। न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)।।

// ईश्तहार //

रा.प्र.क. / 15 /अ-20 (4) / वर्ष 2021-22

आवेदकगण बलराम ताम्रकार आ. स्व. सुन्दरलाल ताम्रकार निवासी ठेठवार पारा बनियापारा दुर्ग एवं अन्य द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 28 डी प्लाट नं. 226/3 क्षेत्रफल 118 वर्गमीटर धारकगण बलराम, ललित पिता स्व. सुन्दरलाल ताम्रकार निवासी बनिया पारा दुर्ग के संयुक्त नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। आवेदकगण के मध्य उक्त भूखण्डों का पंजीकृत बटवारानामा दिनांक 19.07.2022 को निष्पादित किया गया है। पंजीकृत बटवारानामा अनुसार पक्षकार क्रमांक-01 बलराम ताम्रकार को उक्त भूखण्ड नजूल भूमि शीट क्रमांक 28 डी प्लाट नं. 226/3 का टु. क्षेत्रफल 15.90 वर्गमीटर पक्षकार क्रमांक-02 ललित कुमार ताम्रकार को उक्त भूखण्ड नजूल भूमि शीट क्रमांक शीट क्रमांक 28 डी प्लाट नं. 226/3 का टु, क्षेत्रफल 102.10 वर्गमीटर हिस्से में प्राप्त हुआ है। आवेदकगण द्वारा पंजीकृत बटवारानामा के आधार पर पृथक-पृथक नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा या आपत्ति हो, तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 31.08.2022 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिस भू-खंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया। (मुहर)

नजूल जांच अधिकारी,
दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1, (छ.ग.)

उद्घोषण

रा.प्र.क्र. / /ब-121 वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री इतवारी/कन्हैया वारिस-पुरईन बाई/स्व. रजमान दशरथ / स्व. ईतवारी राम, चन्द्रिका/स्व. रजनू व अन्य के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि मध्यप्रदेश राज्यपाल जिनका प्रतिनिधित्व जिले के नायब तहसीलदार रा.नि.मं. स्तर समिति दुर्ग के प्रकरण क्रमांक, 51/अ- 19 (1976-77) दिनांक 26.06.1976 के अनुसार आज से 46 वर्ष पूर्व ग्राम धनोरा के लगभग 22 भूमिहीन हितग्राहियों को जीवन निर्वाहन हेतु काबिल कास्त आबंटित भूमि प्रति हितग्राही 1.50- 1.50 एकड़ काबिल कास्त भूमि को आबंटित किया गया था। उक्त काबिज कास्त भूमि जो कि ग्राम धनोरा के धनोरा जलाशय (बांध) के नीचे पूर्व काबिल कास्त आबंटित भू-खण्ड क्रमांक 465 को आबंटित किया गया था। पूर्व में काबिल कास्त भूमि आबंटन वर्ष 1976-77 से आज पर्यन्त सभी हितग्राही अपने-अपने जीवन निर्वहन हेतु कास्त कार्य कर रहे है जो शासकीय राजस्व अभिलेख तत्कालीन समय में दर्ज था, किन्तु वर्तमान समय में दर्ज नहीं है। अवगत हो कि वर्तमान में तांदुला जलाशय सिंचाई विभाग में नवीन भू-खण्ड क्रमांक के साथ पर्यन्त दर्ज है, जो सिंचाई विभाग से प्राप्त जल कर पुस्तिका में दर्ज है। शासकीय पट्टा नवीनीकरण व भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत धनोरा दुर्ग को हम 08 हितग्राहियों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किये पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पर ग्राम पंचायत धनोरा द्वारा शासन द्वारा आयोजित ग्राम सभा में दिनांक 28.06.2022 को प्रस्ताव क्रमांक 25 (05) में निर्णय देते हुए सर्वसम्मति से ग्राम सभा द्वारा 08 हितग्राहियों को पूर्व प्राप्त काबिल कास्त भूमि जिसमें सभी कास्त कर रहे हैं को शासकीय पट्टा (भू-स्वामित्व अधिकार) पूनः नवीनीकरण कर शासकीय पट्टा प्रदान करने हेतु ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनुमोदित किया गया है सभी 08 आवेदक भूमिहीन हितग्राहियों को जो जीवन निर्वाहन का एकमात्र सहारा है को शासकीय पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 6/9/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं व्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार,
दुर्ग

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-महासमुंद

ई-मेल eemadcg@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल विहार योजनांतर्गत आरंग जिला रायपुर में भवन क्र. एलआईजी-236 श्रीमती प्रर्मिला बाई साहू पति श्री संतलाल साहू पता-हाल मुकाम चिरको पोस्ट पटेवा तह. पिथौरा जिला महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का लीजडीड दिनांक 26.02.2016 को निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्रीमती उर्मिला बाई साहू पति श्री संतलाल साहू पता-हाल मुकाम चिरको, पोस्ट पटेवा तह. पिथौरा जिला महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्रीमती लच्छन गुप्ता पति स्व. सत्यप्रकाश गुप्ता पता-वार्ड नं 14, शास्त्री चौक अकोली रोड आरंग जिला रायपुर के नाम पर विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र, सहमति पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता श्रीमती लच्छन गुप्ता पति स्व. सत्यप्रकाश गुप्ता पता वार्ड 14 शास्त्री चौक अकोली रोड आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक, अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को भूखंड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र- महासमुंद

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-महासमुंद

ई-मेल eemadcg@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल विहार योजनांतर्गत आरंग जिला रायपुर में भवन क्र. ईडब्ल्यूएस टाईप 1/43, श्री सुधीर देवांगन पिता श्री सोहनलाल देवांगन पता- रिंग रोड नं. 01 ब्रम्हदेव कालोनी भाठागांव रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का लीजडीड दिनांक 01.02.2020 को निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री सुधीर देवांगन पिता श्री सोहनलाल देवांगन पता रिंग रोड-01 ब्रम्हदेव कालोनी भाठागांव रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री आर्दश कुमार शुक्ला पिता श्री रमाशंकर शुक्ला पता- कैरेज कालोनी शिव सांई मंदिर के पास पो. टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड के नाम पर विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र, सहमति पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता श्री आर्दश कुमार शुक्ल पिता श्री रमाशंकर शुक्ला पता- कैरेज कालोनी शिव सांई मंदिर के पास पो. टाटा नगर जमशेदपुर झारखण्ड के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक, अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को भूखंड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र- महासमुंद

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्रं.//अ , वर्ष /2021-22

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रतीक्ष सिह ध.प. प्रफुल्ल कुमार बैस निवासी साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 रा.नि.मं. दुर्ग-1, तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 143/4 का टु. रकबा 0.0210 हे. 2344 वर्गफीट भूमि त्रुटिवश ख.न. 143/29 में दर्ज हो गया है, जिसे सुधार करने के संबंध में आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि त्रुटि सुधार किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो सुनवाई पेशी दिनांक 06/09/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तकागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं. /अ-27 , वर्ष /2021-22
20220510120092

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ईश्वर यादव पिता स्व. संतोष यादव निवासी निकुम मौजा निकुम प.ह.न. 33 रा.नि.मं. अंण्डा, तह. व जिला दुर्ग द्वारा खसरा नं. 5/7, 57/3, 182/3, 182/4, 279, 397/4, 192 रकबा - 0.0300, 0.5300, 0.1100, 0. 4800, 0.1100, 0.3400, 0.1000, 0.7600 को खाता विभाजन कर अलग-अलग ऋण पुस्तिका प्रदान करने हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 07/09/2022 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समायावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 17/08/2022
पेशी दिनांक 07/09/2022

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषण

ई. कोर्ट क्रमांक / /अ-6/वर्ष/2021-22
रा.प्र.क्र./ /अ-6 वर्ष 2021-22
ग्राम :- घोठा
प.ह.न.-15

//उद्घोषणा//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयगुरूदेव एवं अन्य आ. रिखिराम लहरे निवासी ग्राम घोठा प.ह.नं. 15 तहसील धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संहिता के धारा 109-110 के तहत् आवेदन पेश किया है, कि ग्राम-घोठा प.ह.नं. 15 स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 803/2 रकबा 0.32हे. कुल खसरा नंबर-01 कुल रकबा 0.32हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में रिखीराम आ. चरण के नाम पर दर्ज है। जिस पर भूमिस्वामी रिखीराम आ. चरण का दिनांक 28/12/2021 को फौत हो जाने से वादभूमि पर से मृतक का नाम विलोपित किया जाकर उनके वैध वारिसान के नाम पर फौती दर्ज किये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर न्यायालय में पेश किया गया है।

यदि जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त संबंध में कोई आपत्ति, दावा हो तो स्वयं अथवा विधिक अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में पेशी दिनांक 24/07/2022 को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील-मुहर से जारी किया गया है।

पेशी दिनांक : 24/07/2022 तहसीलदार
जारी दिनांक :- 16/08/2022 धमधा
मुहर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202208101000021/202208101000021
विषय:- अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व
सन् :- 2021 2022

कोहका प. हन. 00019 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - श्रीमती राखी यादव,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

आवेदक - श्रीमती राखी यादव पिता/ पति/ विभाग-स्व. विक्की यादव पता- हाउसिंग बोर्ड भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 19. रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला - दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. 6135/1 रकबा 0.010 हे./1200 वर्गफीट है जो आवेदिका की पति स्व. विक्की यादव पिता देशराज यादव के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी विक्की यादव पिता देशराज यादव की मृत्यु दिनांक 06.03.2022 को हो जाने के करण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसनों का नाम दर्ज किये जाने हेतु फौती नामांतरण बाबात आवेदन पात्र मय खसरा बी.1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया की प्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.082022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/08/2022 को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1, (छ.ग.)

उद्घोषण

रा.प्र.क्र. / /अ-27/ वर्ष 2021-22

एतद द्वारा सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सुमित्रा बाई आ. अधनू राम निवासी उमरपोटी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम उमरपोटी तहसील व जिला दुर्ग स्थित खाता क्रमांक में दर्ज भूमि खसरा. 982/2 रकबा 1.2900 हे. रकबा हे. भूमि जो कि आवेदिका के नाम पर शामिलात रूप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर बराबर सामान हिस्सों में खाता विभाजन किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16/09/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 16/08/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं नायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार,
दुर्ग
मुहर

NAME CHANGE

I Gaurav Verma S/o Dinesh Verma R/o Ward No-10, Nawab Sahab Road, In Front of Harijan Thana, Shivpuri, Madhya Pradesh-473551, have changed my name to Gourav Verma.

प्रथम पेज का शेष

आज से 'कृष्ण कुंज ...

समान तैयार किया गया है।

आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने के लिए ये योजना...मुख्यमंत्री ने 'कृष्ण-कुंज' योजना के उद्देश्यों को लेकर कहा है कि वृक्षारोपण को जन-जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम 'कृष्ण-कुंज' रखा गया है। विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए 'कृष्ण-कुंज' की पहल की जा रही है।

पेड़ों को सहेजने की अनुकरणीय पहल : सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का हर एक पर्व प्रकृति और आदिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इनके संरक्षण के लिए ही यहां के तीज-त्यौहारों को आम लोगों से जोड़ा गया और अब 'कृष्ण-कुंज' योजना के माध्यम से इन सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनुकरणीय पहल हो रही है। जो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल की ओर ले जाएगी और एक नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी।

सरकारी गाड़ी ने 2...

(30 साल) बाइक सीजी 07 एलके 7985 में अपने साथी बंटी चन्द्राकर के साथ बुधवार देर शाम तर्रा से अपने घर लोहरसी जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार फार्च्यूनर गाड़ी सीजी 02- 0011 ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक 20 मीटर दूर हवा में उछल कर गिरे। इस दौरान मौके पर ही एक की मौत हो गई। पाटन पुलिस ने फार्च्यूनर चालक राम नेताम पिता (30 साल) निवासी फुंडा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 279, 337, 304 ए के तहत मामला दर्ज किया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष लोकमनी चन्द्राकर पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी में दोनों लोगों को बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने प्रकाश चंद्राकर को मृत घोषित कर दिया। बंटी चंद्राकर का इलाज चल रहा है। वह भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक प्रकाश चंद्राकर का शव थाना के सामने गाड़ी में रखकर लगभग तीन घंटे तक प्रदर्शन किया। लोग लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जब पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

मिक्सर मशीन वाहन ...

स्कूल जाने के लिए निकली थी। दोपहर 12 बजे के करीब वह साइकिल से जैसे ही जंजगिरी पेट्रोल पंप के पास पहुंची उसे ट्रांजिट मिक्सर मशीन ने टक्कर मार दी। छात्रा सड़क पर गिरी तो मिक्सर मशीन वाहन छात्रा के ऊपर से गुजर गया। हादसा होते देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने मिक्सर वाहन रुकवा लिया और सड़क जाम कर दी।

न्यायालय तहसीलदार सुहेला, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब-121 वर्ष 2021-22
नवापारा प.ह.नं. 33 तहसील सुहेला
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सेवाराम निषाद पिता स्व. श्री बिसरू निषाद उम्र 57 वर्ष जाति केंवट निवासी ग्राम नवापारा प.ह.नं. 33 तहसील सुहेला जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) ग्राम नवापारा में आवेदक के पिता बिसरू निषाद वल्द सिया निषाद की मृत्यु दिनांक 21/11/2011 को हो गई है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार सदस्यों द्वारा भूलवश श्री बिसरू निषाद वल्द सिया निषाद का मृत्यु पंजीयन संबंधित कार्यालय में नहीं कराया गया है। आवेदक को वर्तमान में शासकीय कार्यों के लिए श्री बिसरू निषाद वल्द सिया निषाद के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यता पड़ रहा है, जिसके लिए आवेदक के द्वारा न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र, ग्राम पंचायत अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 26/08/22 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील — तहसीलदार सुहेला

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 177/2022-23
वार्ड का नाम- हवलदार अब्दुल हमीद-36

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि हवलदार अब्दुल हमीद 36 स्थित मकान/भूमि RPR436N00223 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती प्रकाश कौर होरा पति स्व. श्री जीत सिंह होरा नाम से दर्ज है, जिसको श्री राघवेन्द्र शानबाग पिता श्री अनंत वासुदेव शानबाग ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 181/2022-23
वार्ड का नाम- इंदिरा गांधी- 27

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंदिरा गांधी वार्ड-27 स्थित मकान/ भूमि 27/92, RPR220E00011 जो कि निगम अभिलेख में श्री केजूराम, संतोष s/o तिरक राम जंघेल नाम से दर्ज है, जिसको श्री ताराचंद जंघेल पिता स्व. संतोष जंघेल ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040110/अ-2-2021-22
श्री सुनील कुमार साहू

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुनील कुमार साहू पिता श्यामसुंदर साहू निवासी ग्राम धनोरा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम धनोरा प.ह.न 39 तह. व जिला दुर्ग	132/25	0.012 हे. 1375 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040071/अ-2-2021-22
श्रीमती सुलोचना सिन्हा

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुलोचना सिन्हा पति नरेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी सेक्टर 06 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	650/4	0.018 हे. 1950 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202208100400079/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका निशा निर्मलकर पति दीपक निर्मलकर निवासी वार्ड-56 उरला के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 85/47 रकबा 0.0110 हे. 1230 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202208160100003
अ-20 (3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार गुप्ता पिता रामपाल गुप्ता जाति कलार निवासी गीदम नगरीय क्षेत्र गीदम वार्ड क्र. 13 तहसील गीदम जिला दंतेवाड़ा मोबाईल नं. 9425597560 को ग्राम गीदम पहन 17 तहसील गीदम जिला दंतेवाड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 376/1 रकबा 0.317 हेक्टे. में से 140 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवस्थापन/ बंटन किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 02.09.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/ अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16.08.2022 को जारी किय जाता है।

सील — नजूल अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202208100400078/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक युवराज कुमार आ. निलकंठ कन्नौजे निवासी मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 85/8 रकबा 0.0110 हे. 1230 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202207100400247/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक योगेन्द्र कुमार साहू आ. भरतराम साहू निवासी-आजाद चौक कसारीडीह दुर्ग के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.नं 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 52/182 रकबा 0.019 हे. 2100 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202207100400304/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका मीना बाई पति सोमनाथ साहू निवासी-खडगपुर के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 602/27 रकबा 0.010 हे. 1100 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202208100400142/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शमशाद बेगम पति स्व. मोहम्मद असलम निवासी मौदहापारा रायपुर के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिलोका प.ह.नं. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 13/6 रकबा 0.017 हे. 1800 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी सेजबहार जिला रायपुर में स्थित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत निर्मित एलआईजी भवन क्र.-167, श्रीमती नीलिमा शर्मा पति श्री एल.एन. शर्मा के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 6025 दिनांक 08.11.2006 के माध्यम से एकमुश्त आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्णमूल्य जमा कर दिनांक 17.09.2010 को सेलडीड पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी श्रीमती नीलिमा शर्मा पति श्री एल.एन. शर्मा निवासी म.नं. 24 अवनी एवेन्यू मोवा रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की मृत्यु दिनांक 18.01.2022 को हो जाने के कारण उनके वारिसान पुत्र श्री मोहित भारद्वाज पिता श्री एल.एन. शर्मा निवासी म.नं. 24 अवनी एवेन्यू मोवा रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग) द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पारिवारिक सहमति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भवन अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भवन श्री मोहित भारद्वारा पिता श्री एल.एन. शर्मा के नाम पर मृत्यु उपरांत नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था निकाय अथवा वित्तीय संस्था को उक्त भवन का मृत्यु उपरांत नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

प.नं. 202208100400125/
अ-2/2021-22

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पूर्णिमा देवांगन पति ओमप्रकाश देवांगन निवासी कपसदा के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.नं. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 28/222 रकबा 0.016 हे. 1680 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा. सं. की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040114/अ-2-2021-22
श्रीमती विभा देवी साव

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती विभा देवी साव पति बबलू साव निवासी न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम कुरूद प.ह.न 50 तह. व जिला दुर्ग	707/27	0.007 हे. 750 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

नाम सुधार

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ती श्रीमती कांता साहू पति संतोष साहू उम्र 40 वर्ष निवासी म.नं. 10/बी चन्द्र नगर उमरपोटी तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. की निवासी हूं जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करती हूं :-

1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है। 2. यह कि मेरे नाम से भारत सरकार का आधार कार्ड नं. 2593 0901 3279 एवं पैन कार्ड AWIPS366E जिसमें मेरा नाम कांता साहू दर्ज है जो सही व सत्य है। 3. यह कि मेरे पुत्र दिव्याशु साहू जिसकी जन्मतिथि 29.05.2008 है जो कि कक्षा 9वीं शारदा विद्यालय रिसाली भिलाई में अध्ययनरत है जिसके कक्षा पहली से सतवीं एवं आठवीं में मेरा सही नाम कांता साहू दर्ज है किंतु कक्षा दूसरी से छठवीं एवं दाखिला खारिज में त्रुटिवश मेरा नाम कामता साहू अंकित हो गया है। 4. यह कि मेरे पुत्र दिव्यांशु साहू के जन्म प्रमाण पत्र में माता का नाम कांता साहू पिता संतोष साहू दर्ज है। 5. यह कि मेरे सही व वास्तविक नाम श्रीमती कांता साहू पति संतोष साहू के नाम से गजट प्रकाशन करवाने एवं इस आधार पर मेरे पुत्र दिव्यांशु साहू के स्कूल रिकार्ड में एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित करवाने बाबत् आवश्यक दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सत्यापन- मैं शपथकर्ती सत्यापित करती हूं कि शपथपत्र की कंडिका क्र. 01 से 05 तक दी गई समस्त जानकारी विश्वास से सही एवं सत्य है। अतः आज दिनांक 17.8.2022 स्थान दुर्ग में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

शपथकर्ती

नाम सुधार

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ती संतोषी कुमारी पति स्व. श्री भास्कर राव उम्र 38 वर्ष पता-ब्लाक नं. 7, सड़क नं. 11, रूम 1, सेक्टर 9 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करती हूं कि -

1. यह कि मैं उपरोक्त नाम व पते पर निवास करती हूं। 2. यह कि मेरे भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड 3790 0158 0499 मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड DNAPR1576J एवं भारतीय स्टेट बैंक के पासबुक में मेरी नाम संतोषी कुमारी दर्ज है। जो कि मेरी सत्य, वास्तविक एवं पूर्ण नाम है। 3. यह कि मेरी पुत्री अनुष्का राव के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में माता अर्थात मेरी नाम संतोषी दर्ज है जबकि मैं अपने नाम संतोषी के साथ कुमारी लिखती हूं। मेरी सत्य वास्तविक एवं पूरा नाम संतोषी कुमारी है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में स्पष्ट उल्लेखित है। 4. यह कि मैं अपने पुत्री अनुष्का राव के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कक्षा 1 से वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं भविष्य के सभी दस्तावेजों में मेरी नाम संतोषी के पीछे कुमारी को लिखकर संतोषी कुमारी दर्ज करवाना चाहती हूं। 5. यह कि मेरी पुत्री के शिक्षण दस्तावेजों में मेरी नाम संतोषी के पीछे कुमारी लिखने बाबत राजपत्र में प्रकाशन कर सुधार हेतु यह शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है।

सत्यापन - मैं शपथकर्ती सत्यापित करती हूं कि मेरे द्वारा बताए गए कंडिका क्र. 01 से 05 तक में दी गई संपूर्ण जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। जिसे पढ़कर समझकर आज दिनांक 16.8.2022 को अपना हस्ताक्षर स्थान दुर्ग में कर दी।

शपथकर्ती

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040086/अ-2-2021-22
श्री योगेश कुमार देवांगन

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री योगेश कुमार देवांगन पिता हरखराम देवांगन निवासी कृष्ण नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम कुरूद प.ह.न 50 तह. व जिला दुर्ग	707/21	0.007 हे. 750 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग

कार्यालय उतई रोड एलआईसी आफिस के पीछे पदमनाभपुर दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी पति श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी निवासी क्वा.नं. 8/सी, सड़क-34, सेक्टर 05 भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग द्वारा तालपुरी रूआबांधा भिलाई में स्थित पारिजात भवन क्र. 38/एफ (प्रथम तल) जिला दुर्ग में आबंटित किया गया है। आबंटी श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी द्वारा उक्त भवन का विक्रय पत्रक उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग से दिनांक 24.10.2013 एवं फ्री-होल्ड दिनांक 04.01.2016 अनुसार, उक्त भवन बयनामा रजिस्ट्री दिनांक 15.03.2016 को श्री शिव सिंह आ. श्री कृष्ण बहादुर के नाम पर विक्रय कर दिया गया है। नवीन क्रेता श्री शिव सिंह द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन का स्वामित्व मंडल अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः नवीन क्रेता श्री शिव सिंह के नाम पर हस्तांतरण/नामांतरण किया जाना है तो किसी भी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, बैंक, वित्तीय निकायों इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर लिखित में आपत्ति/दावा इस कार्यालय में कार्यालीयन समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करे बाद में प्राप्त आपत्ति/ दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए मंडल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 17.8.2022 को जारी किया गया।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग

कार्यालय उतई रोड एलआईसी आफिस के पीछे पदमनाभपुर दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पूर्णिमा तिवारी पति श्री राजकुमार तिवारी निवासी 311/2, मैत्री कुंज रिसाली भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग द्वारा तालपुरी रूआबांधा भिलाई में स्थित पारिजात भवन क्र. 38/ई (प्रथम तल) जिला दुर्ग में आबंटित किया गया है। आबंटी श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी द्वारा उक्त भवन का विक्रय पत्रक उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग से दिनांक 24.10.2013 एवं फ्री-होल्ड दिनांक 04.01.2016 अनुसार, उक्त भवन बयनामा रजिस्ट्री दिनांक 15.03.2016 को श्री शिव सिंह आ. श्री कृष्ण बहादुर के नाम पर विक्रय कर दिया गया है। नवीन क्रेता श्री शिव सिंह द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन का स्वामित्व मंडल अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः नवीन क्रेता श्री शिव सिंह के नाम पर हस्तांतरण/नामांतरण किया जाना है तो किसी भी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, बैंक, वित्तीय निकायों इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर लिखित में आपत्ति/दावा इस कार्यालय में कार्यालीयन समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करे बाद में प्राप्त आपत्ति/ दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए मंडल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 17.8.2022 को जारी किया गया।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग

मामले की श्रेणी- राजस्व

संदर्भ- न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग प.ह.नं. 00056 ग्राम कसारीडीह नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक सीजी 510621072022045

आवेदक पक्षकार- लोकेन्द्र साहू पिता देवराम साहू पता- केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग

अनावेदक पक्षकार- एकता साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बी बीजी पाकेट मरोदा सेक्टर सिविल सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग, वर्तिका साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बी बीजी पाकेट मरोदा सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग, सरोजबाला साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बीजी पाकेट मरोदा सिविल सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग भूमि का विवरण जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

तहसील दुर्ग के प.ह.नं. 00056 के अंतर्गत ग्राम कसारीडीह के भूमिस्वामी लोकेन्द्र साहू पिता देवराम साहू पता- केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग अनावेदक पक्षकार- एकता साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बी बीजी पाकेट मरोदा सेक्टर सिविल सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग, वर्तिका साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बी बीजी पाकेट मरोदा सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग, सरोजबाला साहू पिता/पति स्व. प्रीतम कुमार पता-16/बीजी पाकेट मरोदा सिविल सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्र. 728/45(0.0089) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02/09/2022 को समय सुबह 11 बजे न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी। आप अपना पक्ष प्रकरण को आगामी सुनवाई तिथि के पूर्व या सुनवाई के समय स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि को प्रकरण में सुनवाई उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

नोटिस दिनांक 16/08/2022

सील — राजस्व अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

मामला क्र. अ-74/2021-22

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश कुमार नेताम पिता नोहर सिंह निवासी बछेरा तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 20/1 रकबा 0.400 हे. भूमि का प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम/ जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 25/8/2022 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/ आक्षेप पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/08/2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से यह उद्घोषणा पत्र प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

सील — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

मा.क्र. 202208103400028/
अ-6/2021-22

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ओमप्रकाश पिता स्व. नोहर सिंह निवासी मोहलई तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 20/1 रकबा 0.4 हे. दर्ज है जिसके अंकित नाम नाबालिक शब्द को विलोपित करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 25/8/2022 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/ आक्षेप पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/8/2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से यह उद्घोषणा पत्र प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

सील — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग

मामले की श्रेणी- राजस्व

संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील दुर्ग प.ह.नं. 00056 ग्राम कसारीडीह नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक सीजी5106416062022022

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.नं. 00056 के अंतर्गत ग्राम कसारीडीह के भूमिस्वामी दशरथ कुमार कलिहारी पिता मनराखनलाल कलिहारी पता-एचआईजी 08 वार्ड 52, बोरसी रोड मिनाक्षी नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्र. 687/431 (0.0074) में नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02/09/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16/08/2022 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग

मामले की श्रेणी- राजस्व

संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील दुर्ग प.ह.नं. 00056 ग्राम कसारीडीह नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक सीजी 5106216062022021

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.नं. 00056 के अंतर्गत ग्राम कसारीडीह के भूमिस्वामी दशरथ कुमार कलिहारी पिता मनराखनलाल कलिहारी पता-एचआईजी 08 वार्ड 52, बोरसी रोड मिनाक्षी नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्र. 687/431 (0.0074) में नामांतरण / अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02/09/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16/08/2022 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040007/अ-2-2021-22
श्रीमती राजकुमारी जंघेल

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती राजकुमारी जंघेल पति छोटेलाल जंघेल निवासी बजरंग नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम कुरूद प.ह.न 50 तह. व जिला दुर्ग	707/23	0.007 हे. 731 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040082/अ-2-2021-22
श्रीमती पूजा बघेल

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पूजा बघेल पति अभिषेक बघेल निवासी शिव मंदिर के पास बालको नगर कोरबा, जिला कोरबा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम धनोरा प.ह.न 39 तह. व जिला दुर्ग	490/9	0.019 हे. 2115 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20220810040006/अ-2-2021-22
श्रीमती सीता जंघेल

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सीता जंघेल पति गंगूराम जंघेल निवासी बजरंग नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2) (5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण चिचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम कुरूद प.ह.न 50 तह. व जिला दुर्ग	707/22	0.007 हे. 750 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपने लिखित आपत्ति दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय अधीक्षक छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज रायपुर

काली माता मंदिर के पीछे आकाशवाणी चौक रायपुर छ.ग. फोन नं. 0771-4048829

क्रमांक 734/अधी./स्टे.गै./2022 — रायपुर, दिनांक 16/08/2022

// निविदा आमंत्रण //

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधीक्षक छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज रायपुर के अधीन निम्नलिखित वाहनों का नीलाम किए जाने हेतु बंद निविदा आमंत्रित किया जाता है नीलाम किए जाने वालो वाहनों का अवलोकन कार्यालयीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज रायपुर वर्कशाप में (काली माता मंदिर के पीछे) जल संसाधन विभाग के परिसर में किया जा सकता है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	आफसेट मूल्य
01	CG02 B9999	TATA MANZA PETROL	2011	70000.00
02	CG02 B0110	TATA MANZA PETROL	2012	70000.00
03	CG02 4646	TATA MANZA PETROL	2012	70000.00
04	CG02 B0010	TATA MANZA PETROL	2012	70000.00
05	CG02 B4444	TATA MANZA PETROL	2013	70000.00
06	CG02 5546	TATA MANZA PETROL	2013	70000.00
07	CG02 2910	TATA INDIGO DIESEL	2005	37000.00
08	CG02 B6789	TATA INDIGO TETROL	2011	39800.00
09	CG02 G0111	TATA INDIGO PETROL	2012	41700.00
10	CG02 4830	TATA VENTURE DIESEL	2012	52500.00
11	CG02 4831	TATA VENTURE DIESEL	2012	52500.00
12	CG02 B0001	TOYOTA COROLLA PETROL	2007	115100.00
13	CG02 D0041	TOYOTA ETIOS PETROL	2014	67500.00
14	CG02 7575	MARUTI OMNI PETROL	2005	15500.00
15	CG02 6148	TATA MANZA GLX PETROL	2014	61000.00
16	CG02 A2001	MARUTI WAGON R PETROL	2008	32700.00
17	CG02 A9999	MARUTI 800 PETROL	2006	23000.00
18	CG02 A0222	TATA INDIGO GLX PETROL	2008	38000.00

निविदा फार्म नियम एवं शर्तों की जानकारी 200.00 नगद जमा कर छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज (वर्कशाप) जल संसाधन विभाग परिसर, काली माता मंदिर के पीछे, आकाशवाणी चौक के पास रायपुर से निविदा फार्म दिनांक 22.08.2022 से 05.09.2022 समय दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 05.09.2022 दोपहर 02.00 बजे तक जमा की जावेगी इसके पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निविदा उपस्थित निविदाकर्ताओं/ प्रतिनिधि के समक्ष सायंकाल 03.00 बजे दिनांक 05.09.2022 को खोली जावेगी। अधीक्षक छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

टीप :- 01 सरल क्र. 15 से 18 तक वाहनों की मूल आर.सी बुक नहीं है। 02 निविदा फार्म के साथ अमानत राशि प्रत्येक वाहन के लिए रुपए 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य रूप से जमा होगा, नगद राशि स्वीकार योग्य नहीं होगी।

जी-93635/3

अधीक्षक
छ.ग. स्टेट गैरेज

कार्यालय नगर पंचायत भटगांव जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

07775-268970, फैक्स 07775-268970 ई-मेल- cmobhatgaon@rediffmail.com

क्र. 2523/तकनीकी/न.पं./2022-23 — भटगांव, दिनांक 16.08.2022

द्वितीय मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत भटगांव द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं प्रभावशील P.W.D. S.O.R. Road 01/01/2015/Electric 01.01.2015 से कम/समान/अधिक प्रतिशत दर से 03 लिफाफा में मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	वार्ड क्र. 06 एवं 07 लल्लू वेल्डिंग दुकान से शमीम घर तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	दि. 05/09/2022 समय- 03.00 बजे
2	वार्ड क्र. 10 में धीरेन्द्र वेल्डिंग दुकान से गणेश घर तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	4.88	
3	वार्ड क्र. 11,13 एवं 14 में सी.एम.ओ. आवास से गांधी चौक तक सड़क प्रकाश विस्तारीकरण कार्य।	18.60	
4	वार्ड क्र. 06,08 एवं 10 में एस.ई.सी.एल. हास्पिटल से बस स्टैण्ड तक सड़क प्रकाश विस्तारीकरण कार्य।	18.60	
5	वार्ड क्र. 05 एवं 06 में सामुदायिक शौचालय से सी.एच.पी. चौक तक सड़क प्रकाश विस्तारीकरण कार्य।	13.29	

नोट :- उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत भटगांव, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities, 2021 and 2022

An advertisement inviting applications for National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities for 2021 and 2022 has been published in newspapers on 15th July 2022.

2. It is for information of all including aspiring applicants that Applications/ nominations may be submitted through online mode on the password protected centralized portal (www.awards.gov.in).

3. The Award portal is open for submitting applications/nominations w.e.f. 15th July, 2022 to 28th August, 2022. Eligibility criteria and other details are available in the simplified and rationalized Guidelines for National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities available on the website of the Department (www.disabilityaffairs.gov.in) as also on the Award Portal (www.awards.gov.in)

4. Applications in physical form/e-mail will not be accepted/considered for these National Awards.

CBC 38117/11/0029/2223

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

ग्राम पंचायत बिलभदर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

प्रदीप कुंजाम सरपंच | **अमर लाल** उप सरपंच | **प्रभुलाल सिन्हा** सचिव | **सुभाष नेताम** रोजगार सहायक

पंचगण श्रीमती गायत्री साहू, श्रीमती किरण नेताम, श्रीमती मानेश्वरी सोरी, मिथुन मरकाम, राजेश जूर्री, श्रीमती रजनी कुंजाम, अर्जुन नेताम, लोकेश मंडावी, लोकेश्वरी नेताम, बसंती कुंजाम, गजेश, नेताम

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत बिलभदर वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

ग्राम पंचायत परसापानी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

गिरधर लाल मरकाम सरपंच | **शोभी राम वट्टी** उप सरपंच | **श्रीमती नूतन ग्वाल** रोजगार सहायक

पंचगण श्रीमती दूजबाई मरकाम, श्रीमती कचरी बाई यादव, कुलदीप साहू, कुशलराम मरकाम, लक्ष्मीनाथ नेताम, धन्नूराम नेताम, श्रीमती शिवबती टांडेश, श्रीमती प्रेमबाई, श्रीमती दुर्गिन बाई, श्रीमती राजबाई, श्रीमती प्रेमबाई

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत परसापानी वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

ग्राम पंचायत अमाली की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

जगन्नाथ कश्यप सरपंच | **गिरजा बाई देवागंन** उप सरपंच | **परमेश्वर साहू** रोजगार सहायक

पंचगण श्रीमती कौशिल्या बाई, मीना बाई, शारदी बाई, सपूरा बाई, पुष्पा बाई, दीनदायाल सेन, भानू राम, हरचंद साहू

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत अमाली, वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

ग्राम पंचायत छिपली की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

संतकुमार नेताम सरपंच | **मदन सेन** सचिव | **लोकेश्वर टंडन** रोजगार सहायक

पंचगण श्रीमती राधा बाई ध्रुव, रुखमणी कोसरे, आश बाई ध्रुव, लक्ष्मी बोरझरिया, मोहिनी ध्रुव, असमोतिन जांगड़े, सोनिया सेवई, गुपेश नवरंग, चन्द्रिका कुर्रे, छन्नु लाल नेताम, गुरु प्रसाद साहू, तोषण कश्यप, खेदुराम सोम, राकेश सेन, शंतानु कोसरे, टिकेश नवरंग, हेमंत ध्रुव, रेखा ब्रम्ह, सरोज साहू, यतीन ध्रुव, पंचायत चपरासी- येकेश्वरय नागरची, ग्राम कोटवार - यशवंत नागरची

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत छिपली वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

ग्राम पंचायत भड़सिवना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

बिसंतीन पालेश्वर सरपंच | **पवन कुमार ध्रुव** उप सरपंच | **बिरेश्वर यादव** सचिव

पंचगण केशन्तीन बाई कोर्राम, राकेश कुमार नेताम, पेंगबती वट्टी, फुलोबाई नागवंशी, कैलाश मरकाम, गिरजा बाई कोर्राम, कमेश्वरी मरकाम, ध्रुव कुमार राणा, नील कुमारी चन्द्रवंशी, राजेश्वरी नागवंशी , धर्मराज साहू, चमेली बाई मरकाम, मीना बाई मरकाम, कोमल सिंह मरकाम

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत भड़सिवना, वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

ग्राम पंचायत फरसिया की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

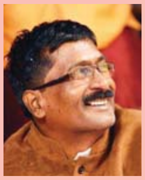

मीना बाई शांडिल्य सरपंच | **शिवदयाल साहू** उप सरपंच | **भरोस कुमार साहू** सचिव | **विद्या भारती** रोजगार सहायक

पंचगण केशव टेकाम, बिसंबर सोरी, अजीत सिन्हा, सुभाष चंद कश्यप, उमेश साहू, यशवंत कश्यप, शकुन बाई नागवंशी, कमला बाई नेताम, रोहिणी साहू, महेश्वरी ध्रुव, गिरजा ध्रुव, लेखा बाई, ममता यादव, मायावती सिन्हा, भगवती साहू, गैंदी बाई यादव, चंदा बाई यादव, खेम सिंह चनाप, डोमेश्वरी, भृत्य- बुलाखु राम तारम, नल-जल ऑपरेटर- भूपेन्द्र मरकाम

विनीत समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत फरसिया, वि.खं. नगरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं...

नरेश छैदैया
एल्डरमेन
नगर पंचायत नगरी

समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं...

टिकेश्वर ध्रुव
पार्षद वार्ड क्रं. -01
नगर पंचायत नगरी

समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं...

भूपेन्द्र साहू
सभापति
नगर पंचायत नगरी

समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं...

प्रकाश सोनी

आठे कन्हैया तिहार

(श्री कृष्ण जन्माष्टमी)

की हार्दिक शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ शासन

युग समेटे खड़ा बरगद, झूले कदंब का पेड़
कृष्ण कहें समस्त वृक्षों में, मैं पीपल का पेड़

छत्तीसगढ़ कृष्ण कुंज

लोकार्पण

19 अगस्त

परंपरागत व जीवन उपयोगी वृक्षों की अमूल्य विरासत का संरक्षण

- सभी नगरीय निकायों में चिन्हित स्थलों में विकसित किए जाएंगे 142 'कृष्ण कुंज'
- राज्य के हर ज़िले में वन विभाग को एक एकड़ जमीन का आबंटन
- सांस्कृतिक महत्व के बरगद, पीपल, नीम, कदम्ब एवं अन्य जीवन उपयोगी पौधों का होगा रोपण

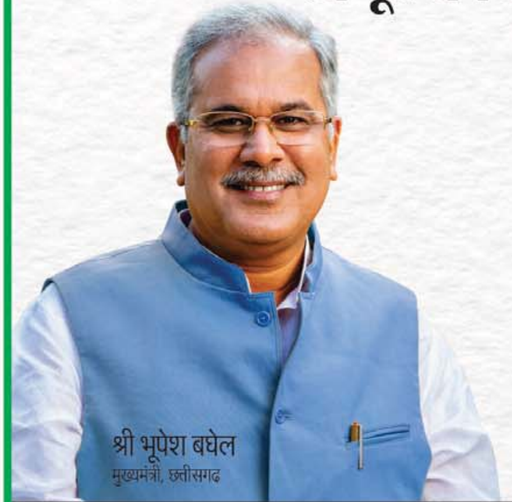

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद - 33559

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क